[2018] 4 एस. सी. आर. 877

डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 416)

20 मार्च, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और उदय उमेश ललित, जे. जे.]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। 18 - अग्रिम जमानत का बहिष्कार, में

गलत निहितार्थ के मामले-प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय-प्रतिवादी

नहीं। 2 - शिकायतकर्ता, एक सरकार। अनुसूचित जाति से संबंधित कर्मचारी ने 2006 में अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों (गैर-अनुसूचित जाति) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जब उन्होंने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल प्रविष्टि की-उक्त दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आगे बढ़ने की मंजूरी, जिसे 2011 में अपीलार्थी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था-प्रतिवादी नं। 2 2016 में अपीलार्थी के खिलाफ-अपीलार्थी ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया-आयोजित किया गयाः अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या जहां न्यायिक जांच पर शिकायत प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है-बहिष्करण अग्रिम जमानत केवल वास्तविक मामलों में अपराध के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उचित है-यह उन लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता है जिन्हें बाहरी कारणों से गलत तरीके से फंसाया गया है-किसी निर्दोष के झूठे निहितार्थ से बचने के लिए, संबंधित डी. एस. पी. द्वारा यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच की जा सकती है कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं और क्या आरोप तुच्छ या प्रेरित नहीं हैं-एक लोक सेवक की गिरफ्तारी केवल नियुक्ति प्राधिकारी की मंजूरी के बाद और एस. एस. पी. द्वारा अनुमोदन के बाद एक गैर-लोक सेवक की गिरफ्तारी हो सकती है जो उचित मामलों में दी जा सकती है यदि दर्ज किए गए कारणों के लिए आवश्यक माना जाए-ऐसे कारणों की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जानी चाहिए ताकि आगे की हिरासत की अनुमति दी जा सके। तत्काल मामले में, अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

प्रक्रिया, 1973 एस। 438 और एसएस। 482 , 41 , 41 ए, 197-दंड संहिता, 1860-एस. एस. 182 , 192 , 193 , 203 और एस। 219 आर/डब्ल्यू एस। 34 - भारत का संविधान-कला। 14 , 15 , 16 और 21-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 आर। 12 (4) – नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955-आतंकवादी और विघटनकारी

[2018] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 - धारा 17 (4), (5)-गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967। 43 डी (4), (5)-महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999। 21 (3) , (4) – नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 37 .

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एसएस। 41 , 41 ए-गिरफ्तारी की शक्ति-आयोजितः कानून का प्रवर्तन सुसंगत होना चाहिए।

मौलिक अधिकारों के साथ-गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एकतरफा आरोप लगाया जाना चाहिए।

किसी भी जाति से संबंधित, जब इस तरह के आरोप स्पष्ट रूप से प्रेरित और झूठे होते हैं, तो किसी व्यक्ति को स्वतंत्र जांच-अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के बिना उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

क़ानूनों की व्याख्या-शाब्दिक व्याख्या बनाम उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-आयोजितः एक क़ानून को संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य-अग्रिम जमानत के प्रावधान के बहिष्करण को संभवतः, किसी भी उचित व्याख्या द्वारा, तब लागू नहीं माना जा सकता है जब कोई मामला नहीं बनाया जाता है या आरोप स्पष्ट रूप से गलत या प्रेरित होते हैं-सिद्धांत/सिद्धांत-आनुपातिकता का सिद्धांत। आपराधिक मुकदमा-निर्दोषता का अनुमान-आयोजितः बेगुनाही का अनुमान एक मानव अधिकार है-सबूत का बोझ उनके ऊपर डालना।

कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुमति हो सकती है लेकिन अपराध का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ताकि किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके निर्दोष का संरक्षण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दोषी मानवाधिकारों को दंडित करना।

भारत का संविधान-मौलिक कानूनों को लागू करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां/भूमिका

अधिकार-आयोजितः सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका केवल विवाद निपटान से परे है और ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो सीधे तौर पर एक वैध क़ानून के साथ टकराव में नहीं हैं-कानून घोषित करने की शक्ति, कर्तव्य की सीमाओं के भीतर, कानून बनाने के लिए, जब कोई मौजूद नहीं है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989-चर्चा का उद्देश्य और उद्देश्य।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः इस मुद्दे पर विचार करना कि क्या इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं और डॉ. को गिरफ्तार किया जा सकता है।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

1.1 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने का सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बनाए रखना है। संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21 उन मूलभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कानून के शासन का आधार हैं। उक्त अधिकारों की सामग्री की व्याख्या की जानी चाहिए

एक तरीका जो नागरिकों को उक्त अधिकारों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है। समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की किसी भी स्थिति से रक्षा की जानी चाहिए।

अनुचित प्रक्रिया, भले ही यह विधायिका द्वारा अधिनियमित हो। मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों को अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप होना चाहिए। उक्त अधिकारों के किसी भी निरसन को इस न्यायालय द्वारा उचित आदेश या निर्देशों द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। विधायिका की शक्ति का प्रयोग इसके अनुरूप किया जाना चाहिए

मौलिक अधिकार। किसी कानून का प्रवर्तन भी मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। निस्संदेह, सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र है। अनुच्छेद 21 के तहत 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति इसका तात्पर्य न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से है। [पैरा 31] [913-जी-एच; 914-ए-डी]

1.2 उच्चतम न्यायालय से एक निष्क्रिय या नकारात्मक भूमिका अपनाने और उल्लंघन करने पर दर्शक या दर्शक बने रहने की उम्मीद नहीं की जाती है।

अधिकारों का पालन किया जाता है। नए साधनों और रणनीतियों को तैयार करना आवश्यक है ताकि अन्याय और मौलिक नियमों के उल्लंघन को रोका जा सके।

अधिकार। कोई भी प्रक्रियात्मक तकनीकीता मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन में बाधा नहीं बन सकती है। उच्चतम न्यायालय की भूमिका केवल विवाद निपटान से परे है और निश्चित रूप से ऐसे निर्देश जारी किए जा सकते हैं जो सीधे तौर पर एक वैध क़ानून के साथ टकराव में नहीं हैं। कानून घोषित करने की शक्ति, कर्तव्य की सीमाओं के भीतर, कानून बनाने के लिए होती है जब कोई मौजूद नहीं होता है। ऐसे अनगिनत अवसर हैं जब सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन के लिए निर्देश जारी किए हैं

मौलिक अधिकार जैसे जाति जांच समिति के कामकाज के संबंध में निर्देश; विधि अधिकारियों की नियुक्ति को विनियमित करने के निर्देश; वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने में इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को विनियमित करने के निर्देश; दिशा-निर्देश दिए गए हैं। कारावास में अपनी माँ के साथ जाने वाले बच्चे के कल्याण के लिए जारी किया गया; महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए निर्देश; बेघरों के लिए रात्रि आश्रय के लिए; जाँच करने के लिए निर्देश [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बच्चों में कुपोषण; सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश; कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश; विचाराधीन मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए निर्देश। [पारस 32,35] [914-डी-एफ; 917-डी-एफ]

मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 1 एस. सी. सी. 248: [1978] 2

इसके बाद एस. सी. आर. 621 आया। 1.3 जोगिंदर कुमार में यह देखा गया था कि

मानवाधिकारों का विस्तार हो रहा है। अंधाधुंध गिरफ्तारी के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें हैं। गिरफ्तारी का कानून व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का है। एक तरफ सामाजिक अपराध की जाँच करने की आवश्यकता है, दूसरी ओर पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा स्वतंत्रता, उत्पीड़न और दुरुपयोग की सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट में इस आशय का उल्लेख किया गया था कि गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस के भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों में से एक थी। 60 % गिरफ्तारी अनावश्यक या अनुचित थी। गिरफ्तारी को केवल गंभीर अपराधों में ही उचित ठहराया जा सकता है ताकि पीड़ित का विश्वास बढ़े, ताकि आरोपी को आगे अपराध करने से रोका जा सके और उसे फरार होने से रोका जा सके। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को कारण दर्ज करना चाहिए। यह देखा गया कि कोई गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना वैध है। शक्ति का प्रयोग एक वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए। यह

आवश्यकता को अनुच्छेद 21 में पढ़ा गया था। अर्नेश कुमार में, यह देखा गया था कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है और हमेशा के लिए निशान डालती है। इसे उत्पीड़न का एक उपकरण माना जाता है और उत्पीड़न। कठोर शक्ति का प्रयोग सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति भ्रष्टाचार का एक आकर्षक स्रोत है। उल्लेख करते हुए

विधि आयोगों की सिफारिशों के आलोक में धारा 41 Cr.P.C में विधि का संशोधन, यह निर्देश दिया गया था कि गिरफ्तारी केवल तभी उचित हो सकती है जब 'विश्वसनीय जानकारी' या 'उचित संदेह' हो और यदि गिरफ्तारी को रोकने के लिए गिरफ्तारी आवश्यक हो।

अपराध को आगे बढ़ाने के लिए या उचित जाँच के लिए या साक्ष्य में हस्तक्षेप की जाँच करने के लिए। कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। हालांकि, जमीनी स्तर पर अनुपालन संतोषजनक नहीं है।

कारणों से। मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच भी पर्याप्त नहीं है।

[पैरा 36] [918-ए-एफ] डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

जोगिंदर कुमार बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1994) 4 एस. सी. सी. 260; अर्नेश कुमार बनाम। बिहार राज्य (2014) 8 एससीसी 273:

[2014] 8 एस. सी. आर. 128-पर निर्भर।

समाज का बंधुत्व और एकीकरण। इसके लिए जाति के आधार पर निर्दोष नागरिकों के झूठे प्रभावों पर रोक लगाने की आवश्यकता हो सकती है। [पारस 42,47] [929-एच; 930-ए-बी; 933-बी-सी] अग्रिम जमानत जारी

3.1 अत्याचार अधिनियम की धारा 18 में अग्रिम जमानत देने पर रोक है। अग्रिम जमानत के बहिष्कार को केवल अपराध के अपराधियों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उचित ठहराया गया है। इसे उन लोगों पर लागू होने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जिन्हें बाहरी कारणों से गलत तरीके से फंसाया गया है और जिन्होंने प्रथम दृष्टया स्वतंत्र जांच पर अपराध नहीं किया है। न्याय तक पहुँच एक मौलिक अधिकार होने के कारण, अनाज को भूसी से एक स्वतंत्र तंत्र द्वारा अलग किया जाना चाहिए। एक नागरिक की स्वतंत्रता नहीं रखी जा सकती है।

नियमित जमानत, एक दिलचस्प स्थिति सामने आती है। [पारस 49-52] [933 D-E; 934-C-E] 3.2 आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 ("टाडा"-जब से निरस्त किया गया है) की धारा 17 (4) में कहा गया है [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" ..... दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में कुछ भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा। टाडा अधिनियम की धारा 17 (5) ने टाडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति पर और प्रतिबंध लगा दिया है।

नियमित जमानत पर रिहा किया जाना और शर्तों में से एक थीः जहाँ लोक अभियोजक अनुदान के लिए आवेदन का विरोध करता है

जमानत के मामले में, अदालत को संतुष्ट होना था कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि आरोपी इस तरह के अपराध का दोषी नहीं था और जमानत पर रहते हुए उसके इस तरह का कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी। गैरकानूनी गतिविधियों के प्रावधान (रोकथाम) अधिनियम, 1967, अर्थात् धारा 43 डी (4) और 43 डी (5) के तहत टाडा अधिनियम की उपरोक्त धारा 17 (4) और 17 (5) के समान हैं। इसी तरह महाराष्ट्र संगठित नियंत्रण के प्रावधान

अपराध अधिनियम, 1999, अर्थात् धारा 21 (3) और 21 (4) भी संदर्भ में समान हैं। इस प्रकार अभियुक्त व्यक्ति की रिहाई का प्रभाव

इन विशेष अपराधों के तहत संबंधित अपराध किए गए

विधानमंडल द्वारा अधिनियमों पर न केवल अग्रिम जमानत के लिए मामले पर विचार के चरण में बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी नियमित जमानत देने के चरण में भी विचार किया जाता था। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के प्रावधान हालांकि इस मायने में स्पष्ट हैं कि धारा 37 के तहत प्रतिबंध एक ऐसे चरण में है जहां मामले को नियमित जमानत देने के लिए विचार किया जाता है। अग्रिम अनुदान के लिए मामले पर विचार के चरण में इस तरह के किसी प्रतिबंध के बारे में नहीं सोचा जाता है और इसे लागू नहीं किया जाता है। जमानत। दूसरी ओर, अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से विपरीत हैं और धारा 18 में प्रतिबंध केवल अग्रिम जमानत के लिए मामले पर विचार करने के चरण में है और ऐसा कोई प्रतिबंध उपलब्ध नहीं है जबकि मामले को मंजूरी देने के लिए विचार किया जाना है।

नियमित जमानत। सैद्धांतिक रूप से यह कहना संभव है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत एक आवेदन को अत्याचार अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट प्रतिबंधों के कारण अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है, लेकिन वही अदालत गिरफ्तारी के तुरंत बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के प्रावधानों के तहत जमानत दे सकती है। अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाने की इस स्थिति के पीछे कोई तार्किक तर्क प्रतीत नहीं होता है, जबकि नियमित जमानत देने के लिए किसी भी तरह से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि धारा के तहत स्पष्ट बहिष्कार किया जाए।

18 अत्याचार अधिनियम की धारा वास्तविक मामलों और डी. आर. तक सीमित है।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

लागू नहीं होता है जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। [पैरा 52] [934-ई-एच; 935-ए-ई]

3.3 यदि कोई व्यक्ति यह दिखाने में सक्षम है कि, प्रथम दृष्टया, उसने एससी और एसटी के सदस्य के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं किया है और वह

आरोप दुर्भावनापूर्ण और प्रथम दृष्टया झूठा था और प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया था, ऐसे मामलों में धारा 18 को लागू करने के लिए कोई औचित्य नहीं देखा जाता है। अत्याचार के अपराधियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए ताकि वे पीड़ितों को आतंकित न कर सकें। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निर्दोष व्यक्ति जिनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला या स्पष्ट रूप से झूठा मामला नहीं था, उनके साथ वही व्यवहार नहीं किया जा सकता है जो प्रथम दृष्टया अपराध के अपराधी हैं। [पैरा 53] [935-एफ-एच; 936-ए]

3.4 यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून को पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। शाब्दिक के बजाय व्याख्या, न्यायालय, वर्तमान संदर्भ में, कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राथमिकता दे सकता है। का सिद्धांत

आनुपातिकता अनुच्छेद 14 और 21 के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले एक प्रक्रियात्मक दंडात्मक प्रावधान को निष्पक्षता की अवधारणा के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए और

तर्कसंगतता। वर्तमान संदर्भ में, अपराध पैदा करने में विधायिका के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत न्याय तथ्यों के आधार पर एक न्यायिक कार्य है। एक नीति के रूप में, अग्रिम जमानत को बाहर रखा जा सकता है लेकिन बहिष्करण का उद्देश्य लागू नहीं किया जा सकता है जहां एक स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण संस्करण पेश किया जाता है। न्यायालयों के पास न्याय करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है और इस अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का इरादा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण को निरपेक्ष नहीं माना जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एकतरफा आरोप लगाया गया है

किसी भी जाति से संबंधित, जब इस तरह के आरोप स्पष्ट रूप से प्रेरित और झूठे हैं, तो किसी व्यक्ति को उससे वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है।

स्वतंत्र जाँच के बिना स्वतंत्रता। इस प्रकार, अग्रिम जमानत के प्रावधान के बहिष्करण को संभवतः, किसी भी उचित व्याख्या द्वारा, तब लागू नहीं माना जा सकता है जब कोई मामला नहीं बनाया जाता है या आरोप स्पष्ट रूप से गलत या प्रेरित होते हैं। यदि इस व्याख्या को नहीं लिया जाता है, तो लोक सेवकों के लिए अपने प्रामाणिक कार्यों का निर्वहन करना मुश्किल हो सकता है और, दिए गए मामलों में, वे हो सकते हैं

[2018] 4 एस. सी. आर. के तहत झूठा मामला दर्ज करने की धमकी के साथ ब्लैकमेल किया गया।

कानून के किसी भी संरक्षण के बिना अत्याचार अधिनियम। ऐसा नहीं हो सकता है। एक सभ्य समाज में परिदृश्य। इसी तरह, एक गैर-सार्वजनिक भी

नौकर को अपने नागरिक अधिकारों को आत्मसमर्पण करने के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है। यह है।

कानून का इरादा नहीं। इस तरह का कानून न्यायिक जांच में टिक नहीं सकता है। यह निष्पक्ष और निष्पक्षता के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों की अवहेलना करेगा।

यदि कोई व्यक्ति वंचित है तो उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है

जीवन और स्वतंत्रता। इस प्रकार, शाब्दिक व्याख्या को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। वर्तमान स्थिति में। [पारस 56,58 और 59] [936-डी-ई; 938-बी-एफ]

3.5 धारा 438 Cr.P.C का अपवर्जन तब लागू होता है जब

अत्याचारों के तहत अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला

अधिनियम बनाया जाता है। दूसरी ओर, यदि यह दिखाया जा सकता है कि

आरोप प्रथम दृष्टया प्रेरित और झूठे हैं, इस तरह का बहिष्कार

लागू नहीं होगा। अत्याचार अधिनियम की धारा 18 इस प्रकार है - इस तरह से पढ़ें और व्याख्या करें। [पारस 60,63] [938-एफ-जी; 943-सी-डी]

3.6 "उचित प्रक्रिया" की अवधारणा और 8 वीं के सिद्धांत

अमेरिकी संविधान के संशोधन को इस न्यायालय द्वारा पढ़ा गया है

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के हिस्से के रूप में।

निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त पर सबूत का बोझ हो सकता है -

अनुज्ञेय लेकिन अपराध का अनुमान नहीं हो सकता है ताकि किसी व्यक्ति को बिना किसी अवसर के उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया जा सके। स्वतंत्र मंच या न्यायालय। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक अभियुक्त निश्चित रूप से अदालत में पेश होने का हकदार है, यदि उसे गिरफ्तारी की आशंका है,

शिकायतकर्ता का वह मामला प्रेरित था। अगर ऐसा दिखाया जा सकता है ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्षम नहीं है

ऐसा व्यक्ति। कानून के तहत कोई जनादेश नहीं हो सकता है एक निर्दोष की गिरफ्तारी। कानून की व्याख्या उसी के अनुसार की जानी चाहिए।

पिछले तीन दशकों में अधिनियम के कार्यकरण में, यह किया गया है

न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया कि पंचायत में राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ निहित स्वार्थों द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग के उदाहरण हैं।

संपत्ति, मौद्रिक विवादों, रोजगार विवादों से उत्पन्न होने वाले और वरिष्ठता विवाद। यह देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर

दुरुपयोग की शिकायतें विशेष रूप से उनके खिलाफ दर्ज की जा रही हैं।

निहित स्वार्थों की संतुष्टि के लिए अप्रत्यक्ष उद्देश्य वाले लोक सेवक/अर्ध न्यायिक/न्यायिक अधिकारी। [पारस 64-66] [943-ई; 944-एफ; 946-जी-एच; 947-ए-बी] डीआर।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

3.7 निर्दोष नागरिकों को अभियुक्त कहा जाता है, जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं है। विधायिका का इरादा कभी नहीं था कि अत्याचार अधिनियम का उपयोग ब्लैकमेल करने या व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए एक उपकरण के रूप में करें। इस अधिनियम का उद्देश्य जनता को रोकना भी नहीं है

सेवकों को अपने प्रामाणिक कर्तव्यों का पालन करने से। इस प्रकार, जब तक

अग्रिम जमानत का बहिष्कार वास्तविक मामलों तक सीमित है और जिन मामलों में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, वहां निर्दोष नागरिकों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी।

जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए आवश्यक संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। तदनुसार यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि

अग्रिम जमानत के प्रावधान का बहिष्कार तब लागू नहीं होगा जब कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है या मामला स्पष्ट रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण है। इसे संबंधित न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित करना पड़ सकता है। ऐसा करने में, कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत बनाया जा रहा है

इस बात को दोहराया कि कानून के दुरुपयोग से निर्दोष लोगों की सुरक्षा एक हिस्सा है न्याय तक पहुँच का हिस्सा होने के कारण न्यायालय की अंतर्निहित अधिकारिता

और किसी भी दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ स्वतंत्रता का संरक्षण जैसे कि

दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी। ऐसा करने में, धारा 18 की प्रभावशीलता को योग्य मामलों में कम नहीं किया जा रहा है जहां अदालत किसी मामले को प्रथम दृष्टया वास्तविक हिरासत में पूछताछ और मुकदमे से पहले गिरफ्तारी और निरोध की गारंटी देता है। निर्दोषों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है

दोषियों को दंडित करने के रूप में। [पारस 67,68 और 71] [947-बी-एफ; 948-एफ-जी]

3.8 यह मानना मुश्किल है कि विधायिका न्यायिक कार्य को सही या अन्यथा में जाने से बाहर रखना चाहती थी।

किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता लेने से पहले आपराधिक मामले में आरोप लगाया जाता है

दूर। विधायिका का इरादा यह नहीं हो सकता था कि कोई भी एकतरफा

संस्करण को निर्णायक माना जाना चाहिए और इस तरह के आरोप लगाने वाले व्यक्ति को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से पहले सच्चाई का आकलन करने या अन्यथा प्रतिद्वंद्वी दलीलों के न्यायालयों के न्यायिक कार्य के बहिष्कार के लिए इसकी शुद्धता का एकमात्र न्यायाधीश होना चाहिए। व्यक्ति प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। इस प्रकार यह पेटेंट है कि अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में, अग्रिम जमानत के अधिकार का बहिष्कार किया जाता है

यह केवल तभी लागू होता है जब मामला ईमानदारी से दिखाया जाता है और प्रथम दृष्टया यह अत्याचार अधिनियम के तहत आता है और अन्यथा नहीं। धारा 18 वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ कोई प्रथम दृष्टया मामला या मामले नहीं हैं।

पेटेंट के गलत निहितार्थ या जब आरोप के लिए प्रेरित किया जाता है

बाहरी कारण। [पारस 73,74] [949-ई-एच] [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गिरफ्तारी और गलत प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को जारी करना

4.1 कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को किसी भी स्थिति से संरक्षित करने की आवश्यकता है

अन्य नागरिकों के खिलाफ बाहरी कारण जो कई मौकों पर पाए गए हैं। जाति या धर्म की परवाह किए बिना किसी भी निर्दोष नागरिक का कोई भी उत्पीड़न संविधान की गारंटी के खिलाफ है। इस न्यायालय को ऐसी गारंटी लागू करनी चाहिए। कानून जाति घृणा का परिणाम नहीं होना चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, जो व्याख्या के लिए मार्गदर्शक तारा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल करती है। निर्दोष नागरिकों को झूठे निहितार्थ और अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाने की आवश्यकता है जिसके लिए इसके तहत कोई मंजूरी नहीं है।

कानून जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक गारंटी और गिरफ्तारी के कानून के खिलाफ है। सामान्य नियम एफ. आई. आर. दर्ज करना है यदि कोई हो।

जानकारी एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। हालाँकि, इस नियम के अपवाद हैं और अत्याचार अधिनियम के तहत मामले भी अपवादात्मक श्रेणी में आते हैं जहाँ प्रारंभिक

जाँच होनी चाहिए। ऐसी जांच समयबद्ध होनी चाहिए और सात दिनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। भले ही प्रारंभिक जांच की जाए और मामला दर्ज किया गया है, गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। [पारस 75,76,77,79 और 80] [950-बी-ई; 952-जी]

4.2 तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि गिरफ्तारी के लिए बुलाए गए किसी अन्य स्वतंत्र अपराध के अभाव में, अत्याचार अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में, कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, यदि कोई आरोपी व्यक्ति लोक सेवक है, तो नियुक्ति प्राधिकरण की लिखित अनुमति के बिना और यदि ऐसा व्यक्ति लोक सेवक नहीं है, तो जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की लिखित अनुमति के बिना। ऐसी अनुमतियाँ अभिलिखित कारणों से दी जानी चाहिए जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और संबंधित अदालत को दी जानी चाहिए। जैसे ही और जब किसी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट को दर्ज किए गए कारणों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और आगे हिरासत की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब दर्ज किए गए कारण वैध पाए जाएं। गलत निहितार्थ से बचने के लिए, एफ. आई. आर. दर्ज होने से पहले, प्रारंभिक जांच की जा सकती है।

यह तय किया जाए कि क्या मामला अत्याचार अधिनियम के मानदंडों में आता है और तुच्छ या प्रेरित नहीं है।

वर्तमान मामले पर विचार 5. अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही बचाव के लिए उत्तरदायी है। [पैरा 82] [953-ई-एफ]

लुभावनी भावनाएँ

6. निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i) वर्तमान मामले में कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुरुपयोग है

न्यायालय की प्रक्रिया और रद्द कर दिए जाते हैं।

(ii) अग्रिम अनुदान के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में जमानत, यदि प्रथम दृष्टया नहीं

मामला बनाया जाता है या जहां न्यायिक जांच पर शिकायत प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है। पंकज डी. सुथार और डॉ. एन. टी. देसाई में गुजरात उच्च न्यायालय के विचार और दृष्टिकोण को मंजूरी दी गई है और बालोथिया और मंजू देवी में इस न्यायालय के निर्णयों को मंजूरी दी गई है।

स्पष्ट किया जाता है;

iii) अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तारी के कानून के दुरुपयोग को देखते हुए, एक लोक सेवक की गिरफ्तारी हो सकती है।

एस. एस. पी. द्वारा अनुमोदन के बाद ही नियुक्ति प्राधिकारी और गैर-लोक सेवक की मंजूरी के बाद दी जा सकती है जो दर्ज किए गए कारणों के लिए आवश्यक माने जाने पर उचित मामलों में दी जा सकती है। आगे अनुमति देने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कारणों की जांच की जानी चाहिए।

नजरबंदी।

(iv) किसी निर्दोष को गलत तरीके से फंसाने से बचने के लिए संबंधित डीएसपी द्वारा प्रारंभिक जांच की जा सकती है।

पता लगाएँ कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं और क्या आरोप नहीं हैं तुच्छ या प्रेरित।

v) निर्देश (iii) और (iv) का कोई भी उल्लंघन अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अवमानना के रूप में भी कार्रवाई योग्य होगा।

उपरोक्त दिशाएँ संभावित हैं। [पैरा 83] [953-एफ-एच;

ए-डी]

(2012) 1 जी. एल. आर. 499-खारिज। एम. पी. वी. का राज्य राम कृष्ण बालोतिया (1995) 3 एस. सी. सी. 221:

[1995] 1 एससीआर 897; मंजू देवी बनाम। ओंकारजीत सिंह

अहलुवालिया (2017) 13 एस. सी. सी. 439: [2017] 2 एससीआर 703-स्पष्ट किया गया।

एस.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत संघ बनाम। रघुबीर सिंह (1989) 2 एससीसी 754: [1989] 3 एस. सी. आर. 316; इंद्र साहनी और ओ. आर. एस. बनाम। भारत संघ और ओआरएस। (1992) पूरक। 3 एससीसी 217: [1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454; केदार नाथ बनाम। बिहार राज्य [1962] पूरक। 2 एस. सी. आर. 769; ललिता कुमारी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 2 एस. सी. सी. 1: [2013] 14 एस. सी. आर. 713-अनुसरण किया गया। डॉ. एन. टी. देसाई बनाम गुजरात राज्य (1997) 2 जी. एल. आर. 942; पंकज डी. सुतार बनाम। गुजरात राज्य (1992) 1 जी. एल. आर. 405

स्वीकृत किया गया।

- डी. के. बसु बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य (1997) 1 एस. सी. सी. 416: [1996] 10 पूरक। एस. सी. आर. 284; सुब्रमण्यम स्वामी बनाम। यूओआई (2016) 7 एससीसी 221: [2016] 3 एस. सी. आर. 865; विलास पांडुरंग पवार और अन्न। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्य। (2012) 8 एससीसी 795 [2012] 8 एससीआर 270; शकुंतला देवी बनाम।

बलजिंदर सिंह (2014) 15 एस. सी. सी. 521; बंधुआ मुक्ति

मोर्चा वी. यूओआई (1984) 3 एससीसी 161: [1984] 2 एस. सी. आर. 67; विशाखा बनाम. राजस्थान राज्य (1997) 6 एससीसी 241: [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 404; लक्ष्मीकांत पांडे बनाम। यू. ओ. आई. (1983) 2 एस. सी. सी. 244; सामान्य कारण v. यूओआई (1996) 1 एससीसी 753: [1996] 1 एससीआर 89; एम. सी मेहता बनाम टी. एन. राज्य (1996) 6 एस. सी. सी. 756: [1996] 9 पूरक। एस. सी. आर. 726; सुप्रीम कोर्ट बार एसन। वी. यूओआई (1998) 4 एससीसी 409: [1998] 2 एससीआर 795; दयराम बनाम सुधीर बाथम (2012) 1 एससीसी 333 [2011] 15 एससीआर 1092; राजेश कुमार बनाम। राज्य (2011) 13 एस. सी. सी. 706; सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एस. सी. सी. 694: [2010] 15 एससीआर 201; रिनी जौहर और अन्य। वी. एम. पी. और अन्य का राज्य। (2016) 11 एस. सी. सी. 703; हेमा मिश्रा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2014) 4 एस. सी. सी. 453 [2014] 1 एस. सी. आर. 465; नूर आगा बनाम। पंजाब राज्य (2008) 16 एससीसी 417: [2008] 10 एससीआर 379; दादू उर्फ तुलसीदास बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (2000) 8 एससीसी 437; यू. पी. राज्य बनाम भगवंत किशोर जोशी [1964] 3 एस. सी. आर. 221; पी.

सिराजुद्दीन बनाम। मद्रास राज्य (1970) 1 एससीसी 595: [1971] 1 एस. सी. आर. 304-पर निर्भर।

ज्योति प्रसाद बनाम। हरियाणा राज्य (1993) पूरक। 2 एस. सी. सी. 497; बदन सिंह @बद्दो बनाम। यू. पी. और अन्य का राज्य। 2002 सी. आर. आई. एल. जे. 1392; आद्री धरण दास बनाम। पश्चिम बंगाल राज्य (2005) 4 एस. सी. सी. 303 [2005] 2 एस. सी. आर. 188; टाटा आर. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम

राज्य महाराष्ट्र और ANDR।

केमिकल्स लिमिटेड बनाम। सीमा शुल्क आयुक्त (2015) 11 एस. सी. सी. 628 [2015] 7 एस. सी. आर. 132; गंगा सरन एंड संस प्रा. लिमिटेड वी. आयकर अधिकारी और अन्य। (1981) 3 एससीसी 143: [1981] 3 एससीआर 564; एम. सी. अब्राहम बनाम महाराष्ट्र राज्य (2003) 2 एस. सी. सी. 649 [2002] 5 पूरक। एससीआर 677; डी. वेंकटसुब्रमण्यम बनाम। एम. के. मोहन कृष्णमाचारी (2009) 10 एससीसी 488 [2009] 14 एससीआर 441; गुरबख्श सिंह सिबिया आदि। पंजाब राज्य [1980] 3 एस. सी. आर. 383; निकेश ताराचंद शाह बनाम। संघ

भारत और एन. आर. (2017) 13 स्केल 609: 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1355; जोन्स बनाम। राज्य 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 922: 2004 सी. आर. आई. एल. जे. 2755; धीरेन प्रफुल्लभाई शाह

वी. गुजरात राज्य 2016 सीआरआईएलजे 2217; शरद बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2015 (4) बी. एम. सी. आर. (सी. आर. एल.) 545; झारखंड राज्य और ए. एन. आर. वी. गोविंद सिंह (2005) 10 एस. सी. सी. 437 [2004] 6 पूरक। एससीआर 651; रोहिताश कुमार और ओआरएस बनाम। ओम प्रकाश शर्मा और अन्य। (2013) 11 एससीसी 451 [2012] 13 एससीआर 47; माधुरी पाटिल बनाम। जनजातीय

विकास (1994) 6 एससीसी 241: [1994] 3 पूरक। एस. सी. आर. 50; पंजाब राज्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल (2016) 6 एस. सी. सी. 1: [2016] 4 एससीआर 685; इंदिरा जयसिंह बनाम। भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2017) 9 एस. सी. सी. 766; आर.

उपाध्याय बनाम. ए. पी. राज्य (2007) 15 एस. सी. सी. 337: [2006] 3 एससीआर 1132; बचपन बचाओ आंदोलन बनाम। यूओआई (2011) 5 एससीसी 1: [2011] 5 एस. सी. आर. 353; यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। यू. ओ. आई. (2010) 5 एस. सी. सी. 318; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम। यू. ओ. आई. (2004) 12 एस. सी. सी. 104; पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम। स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. (1996) 4 एस. सी. सी. 37: [1996] 2 पूरक। एस. सी. आर. 331; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन।

(1978) 4 एस. सी. सी. 494 [1979] 1 एस. सी. आर. 392; हुसैनारा खातून (IV) v. गृह सचिव। बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 98 [1979] 3 एससीआर 532; पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. आदि. वी. भारत संघ और एएनआर। (2003) 4 एससीसी 399: [2003] 2 एस. सी. आर. 1136; लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। (2009) 4 एससीसी 437: [2009] 4 एस. सी. आर. 1027; कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569: [1994] 2 एस. सी. आर. 375; पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह (2012) 3 एस. सी. सी. 346: [2012] 4 एस. सी. आर. 608- संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

(1993) पूरक। 2 एससीसी 497

संदर्भित किया गया है

पैरा

संदर्भित किया गया है

2002 CRILJ 1392

पैरा

[2005] 2 एससीआर 188

पैरा

संदर्भित किया गया है

[2015] 7 एससीआर 132

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1981] 3 एससीआर 564

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2002] 5 पूरक। एससीआर 677

संदर्भित किया गया है

पैरा

[2009] 14 एससीआर 441

संदर्भित किया गया है

पैरा

[1980] 3 एससीआर 383

संदर्भित किया गया है

पैरा

(2017) 13 स्केल 609

संदर्भित किया गया है

पैराः

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

2004 क्रिएलजे 2755

2016 क्रिएलजे 2217

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

2015 (4) बॉमसीआर (सीआरएल) 545

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2004] 6 पूरक। एससीआर 651

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[2012] 13 एससीआर 47

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1978] 2 एससीआर 621

पीछा किया।

पैरा 3

[1984] 2 एससीआर 67

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1997] 3 पूरक। एससीआर 404

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

(1983) 2 एससीसी 244

उस पर भरोसा करें

पैराः

[1996] 1 एससीआर 89

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1996] 9 पूरक। एससीआर 726

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1998] 2 एससीआर 795

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[2011] 15 एससीआर 1092

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1989] 3 एससीआर 316

पीछा किया।

पैरा

(2011) 13 एस. सी. सी. 706

उस पर भरोसा करें

पैरा 3

[1994] 3 पूरक। एससीआर 50

संदर्भित किया गया है

पैरा 3

[2016] 4 एससीआर 685

संदर्भित किया गया है

पैरा 3 डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। राज्य ओ महाराष्ट्र और ए. एन. आर.

(2017) 9 एस. सी. सी. 766

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2006] 3 एससीआर 1132

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[2011] 5 एससीआर 353

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

(2010) 5 एस. सी. सी. 318

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

(2004) 12 एससीसी 104

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

[1996] 2 पूरक। एससीआर 331

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[1979] 1 एससीआर 392

पै

रा 35

संदर्भित किया गया है

[1979] 3 एससीआर 532

संदर्भित किया गया है

पै

रा 35

(1994) 4 एससीसी 260

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[2014] 8 एससीआर 128

उस पर भरोसा करें

पै

रा 36

[1996] 10 पूरक। एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[2016] 3 एससीआर 865

उस पर भरोसा करें

पै

रा 39

[1992] 2 पूरक। एस. सी. आर. 454 का अनुसरण किया गया

पै

रा 44

[2003] 2 एससीआर 1136

संदर्भित किया गया है

पै

रा 45

[2012] 8 एससीआर 270

उस पर भरोसा करें

पै

रा 54

(2014) 15 एस. सी. सी. 521

उस पर भरोसा करें

पै

रा 54

[2014] 1 एससीआर 465

उस पर भरोसा करें

पै

रा 55

[2009] 4 एससीआर 1027

संदर्भित किया गया है

पै

रा 55

[1994] 2 एससीआर 375

पै

रा 55

संदर्भित किया गया है

[1962] पूरक। 2 एससीआर 769

पीछा किया।

पै

रा 57

(2012) 1 जीएलआर 499

खारिज कर दिया गया

पै

रा 63

[2012] 4 एससीआर 608

संदर्भित किया गया है

पै

रा 64

[2008] 10 एससीआर 379

उस पर भरोसा करें

पै

रा 65

[2010] 15 एससीआर 201

उस पर भरोसा करें

पै

रा 71

(2016) 11 एस. सी. सी. 703

उस पर भरोसा करें

पै

रा 71

(2000) 8 एस. सी. सी. 437

उस पर भरोसा करें

पै

रा 72

(1992) 1 जीएलआर 405

मंजूरी मिल गई।

(1997) 2 जीएलआर 942

मंजूरी मिल गई।

पैरा 74

[1995] 1 एससीआर 897

स्पष्ट कीजिए।

पैरा 74

[2017] 2 एससीआर 703

स्पष्ट कीजिए।

पैरा 74

[2013] 14 एससीआर 713

पीछा किया।

पैरा 77

[1964] 3 एससीआर 221

उस पर भरोसा करें

पैरा 78

[1971] 1 एससीआर 304

उस पर भरोसा करें

पैरा 78

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2018 का सं. 416।

उच्च न्यायालय के 05.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 के आपराधिक आवेदन संख्या 1015 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

मनिंदर सिंह, एएसजी, अमरेंद्र शरण (एसी), सी. यू. सिंह,

श्री एड. , अमित आनंद तिवारी, शाश्वत सिंह, समर्थ खन्ना, अपराजित मुखर्जी, सुश्री गरिमा बोडे डे, एम. वाई. देशमुख, नंदकुमार

एन. देशमुख, शक्ति पांडे, श्रीकांत आर. देशमुख, यतीन एम. जगतप, आर. बालासुब्रमण्यम, शेखर व्यास, प्रभास बजाज, अक्षय अमृतांशु, सुश्री आरती शर्मा, एम. के. मारोरिया, अर्पित राय, निशांत रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अभय अंतुरकर, अभय अंतुरकर एंड एसोसिएट्स, गौरव अग्रवाल, सी. जॉर्ज थॉमस, पी. अंगीबाबू, पी. वी. सरवनराजा, नीलेश सिंह राव, सुश्री मनीषा टी. करिया, सुश्री निधि नागपाल, सुश्री सौम्या, शशांक मंगल, मयक सामी के., के. मुथु गणेशा पांडियन, पी. सोमस। , उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था आदर्श कुमार गोएल, जे. 1. यह अपील की गई है

2016 के आपराधिक आवेदन संख्या 1015 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के 5 मई, 2017 के आदेश के खिलाफ पेश किया गया।

2. 20 नवंबर, 2017 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था -

यह न्यायालयः

" पक्षकारों की विद्वान सलाह सुनी।

प्रत्यर्थी के खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां दर्ज की गईं

नहीं। 2 - प्राचार्य और प्रमुख द्वारा भास्कर करभरी गैदवाड़

फार्मेसी महाविद्यालय का विभाग जहाँ उत्तरदाता नं। 2 नौकरी कर रहे थे। प्रत्यर्थी संख्या 2 की मांग की गई

के प्रावधानों के तहत उसके अभियोजन के लिए मंजूरी

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सुभाष काशीनाथ महाजन की रोकथाम बनाम।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अत्याचार) अधिनियम, 1989 और कुछ अन्य संबंधित

और सजा को अस्वीकार कर दिया गया। इससे एक और शिकायत हुई प्रत्यर्थी द्वारा नं। 2 उक्त के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ

प्रावधान। उक्त शिकायत को रद्द कर दिया गया है

विचार के क्रम में जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है इस मामले में यह है कि क्या कोई एकतरफा आरोप

जिन अधिकारियों से निपटा गया, उन पर मुकदमा चलाने का आधार हो सकता है

आधिकारिक क्षमता में मामला और यदि ऐसा आरोप गलत है

इस तरह के दुरुपयोग के खिलाफ क्या सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि आरोप पर कार्रवाई की जानी है, तो

कार्यवाही के परिणामस्वरूप व्यक्ति की गिरफ्तारी या मुकदमा चलाया जा सकता है।

और उसकी स्वतंत्रता के अधिकार पर भी गंभीर परिणाम होते हैं एक झूठी शिकायत पर जो कानून द्वारा अभिप्रेत नहीं हो सकती है

एक प्रामाणिक पीड़ित की सुरक्षा के लिए।

सवाल यह है कि क्या यह न्यायसंगत और निष्पक्ष प्रक्रिया होगी? भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत या हो सकता है

प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय ताकि अनुसूचित जातियों के प्रावधान

और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 बाहरी विचारों के लिए दुरुपयोग नहीं किया जाता है।

10 जनवरी, 2018 को वापस करने योग्य सूचना जारी करें। इस बीच, आगे की कार्यवाही पर रोक रहेगी।

भारत के महान्यायवादी को भी नोटिस जारी करें

इसमें एक केंद्रीय क़ानून की व्याख्या शामिल है।

श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान वरिष्ठ वकील से अनुरोध किया जाता है

न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करना। श्री शरण आज़ाद होंगे। श्री अमित आनंद तिवारी, अधिवक्ता की सहायता प्राप्त करना।

3. यद्यपि प्रश्न तैयार करते समय कुछ तथ्य बताए गए हैं।

ध्यान दें, कुछ और तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है। यहाँ अपीलार्थी है

सिटी पुलिस स्टेशन, कराड में दर्ज मामले में मुख्य आरोपी धारा 3 (1) (ix), 3 (2) (vi) और 3 (2) (vii) के तहत दंडनीय अपराध है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम)

संबंध) अधिनियम, 1989 (अत्याचार अधिनियम) और साथ ही धारा 182,192,193,

भारतीय दंड संहिता, 1860 (आई. पी. सी.) की धारा 34 के साथ पठित डी219। वह था।

छ. महाराष्ट्र राज्य में तकनीकी शिक्षा निदेशक के रूप में

प्रासंगिक समय।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. दूसरा प्रतिवादी-शिकायतकर्ता विभाग का कर्मचारी है। वह पहले स्टोर कीपर के रूप में कार्यरत थे।

गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, कराड। बाद में उन्हें सरकारी दूरस्थ शिक्षा संस्थान, पुणे में तैनात किया गया। डॉ. सतीश भिसे और

डॉ. किशोर बुराडे, जो उनके वरिष्ठ लेकिन गैर-अनुसूचित जाति के थे, ने अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में इस प्रभाव के प्रतिकूल प्रविष्टि की कि उनकी

ईमानदारी और चरित्र अच्छा नहीं था। उन्होंने उक्त आधार पर 4 जनवरी, 2006 को अत्याचार अधिनियम के तहत उक्त दो अधिकारियों के खिलाफ कराड पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की। संबंधित जांच अधिकारी ने 21 दिसंबर, 2010 को तकनीकी शिक्षा निदेशक के पास उनके खिलाफ धारा 197 Cr.P.C के तहत मंजूरी के लिए आवेदन किया। अपीलार्थी ने 20 जनवरी, 2011 को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इस वजह से, भिसे और बुराडे के खिलाफ 'सी' सारांश रिपोर्ट दायर की गई जिसे अदालत ने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उन्होंने अपीलार्थी के खिलाफ वर्तमान एफ. आई. आर. दर्ज की। शिकायतकर्ता के अनुसार, तकनीकी शिक्षा निदेशक नहीं था

मंजूरी देने/अस्वीकार करने में सक्षम क्योंकि उपरोक्त दो व्यक्ति प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और केवल राज्य सरकार ही मंजूरी दे सकती है। इस प्रकार, उनके अनुसार, अपीलार्थी ने मंजूरी के मामले को अवैध रूप से निपटाकर 28 मार्च, 2016 की प्राथमिकी में कथित अपराधों को अंजाम दिया।

5. शिकायत पूरी तरह से नीचे निकाली गई हैः

" वर्ष 2009 में मैं सरकार में स्टोर कीपर के रूप में काम कर रहा था।

फार्मेसी कॉलेज कराड, उस समय मैंने पंजीकरण कराया था

D.Y.S.P. जांच में कराड डिवीजन कराड 1) सतीश बालकृष्ण भिसे, तत्कालीन प्रिंसिपल फार्मेसी कॉलेज कराड,

2) किशोर बालकृष्ण बुराडे, तत्कालीन प्रोफेसर, फार्मेसी

कॉलेज कराड को वर्तमान में आरोपी के रूप में पाया गया है।

अपराध। जाँच अधिकारी पर्याप्त सबूत इकट्ठा करते हैं

दोनों अभियुक्तों के खिलाफ, लेकिन दोनों अभियुक्त सरकार से हैं।

तकनीकी शिक्षा विभाग कक्षा 1 लोक सेवक, तो उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने से पहले उन्होंने पत्र लिखा था

Cr.P.C की धारा 197 के तहत अभियुक्त का वरिष्ठ कार्यालय। उस समय की अनुमति श्री सुभाष काशीनाथ महाजन ने दी थी

कार्यालय के प्रभारी निदेशक के रूप में काम कर रहा था। आज भी वह उसी पद पर काम कर रहा है। श्री महाजन संबंधित नहीं हैं।

एस. सी. और एस. टी. को लेकिन वह जानता था कि मैं एस. सी. और एस. टी. से ताल्लुक रखता हूँ।

डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

वास्तव में अपराध संख्या 3122/09 में शामिल दोनों आरोपी कक्षा 1 के पद पर काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए Cr.P.C. धारा 197 के अनुसार अनुमति लेनी होगी। श्री महाजन और श्री महाजन को यह तथ्य पता था कि इस कार्यालय को अनुमति देने का ऐसा अधिकार नहीं है। इसलिए श्री महाजन मुंबई कार्यालय को पत्र भेजते हैं। वास्तव में आवश्यक अनुमति देना या अनुमति से इनकार करना प्रभारी निर्देश, तकनीकी शिक्षा मुंबई के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन, श्री महाजन

अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया ताकि आरोपी को लाभ हो सके, उसने निर्णय लिया और आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ताकि, जांच अधिकारी श्री भरत तंगडे दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र जमा करने में विफल रहें, लेकिन वह 'सी' सारांश रिपोर्ट जमा करने की शिकायत करते हैं।

6. अपीलार्थी ने अग्रिम जमानत मिलने के बाद कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 Cr.P.C के तहत उच्च न्यायालय में आवेदन किया।

इस आधार पर कि उन्होंने केवल अपनी आधिकारिक क्षमता में एक वास्तविक प्रशासनिक आदेश पारित किया था। ऐसा करने में उसकी कार्रवाई अपराध नहीं हो सकती, भले ही आदेश गलत हो। हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 7. इस तर्क से निपटना कि यदि ऐसे मामलों को रद्द नहीं किया जाता है, तो एक कर्मचारी के खिलाफ वास्तविक प्रतिकूल टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग

एससी/एसटी के सदस्य या आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में एक वैध प्रशासनिक आदेश पारित करना मुश्किल हो जाएगा और प्रशासन को खतरे में डाल देगा, उच्च न्यायालय ने कहा कि किसी भी लोक सेवक या समीक्षा प्राधिकरण को झूठे या तुच्छ अभियोजन के माध्यम से किसी भी कार्रवाई को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अत्याचार अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को केवल दुरुपयोग की संभावना के कारण दोष नहीं दिया जा सकता है। यह देखा गया कि तथ्यों और परिस्थितियों में, रद्द करने की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह दलितों और पिछड़े वर्गों को गलत संकेत भेज सकता है।

समाज को।

8. हमने सुना है कि श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान वरिष्ठ वकील, न्यायमित्र के रूप में पेश हुए, श्री मनिंदर सिंह, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

भारत संघ की ओर से पेश हुए जनरल श्री सी. यू. सिंह ने वरिष्ठ अधिवक्ता और अन्य विद्वान अधिवक्ता हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश हुए और पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख का अध्ययन किया।

9. हम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलों का उल्लेख कर सकते हैं:

विद्वान न्यायमित्र की टिप्पणियाँ

10. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान सीए के तथ्यों में

अपराध धारा 3 (1) (ix), 3 (2) (vi) और 3 (2) (1) के तहत किया गया था।

एफ अत्याचार अधिनियम और धारा 182,192,193,203 और 219

भारतीय दंड संहिता और इस प्रकार, उच्च न्यायालय को कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था। उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित तालिका प्रस्तुत कीः

एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों में प्रावधानों की प्रयोज्यता इस मामले में हुई थी शिकायत

मामले के तथ्य

प्रावधान एक "गलत और

3. अत्याचार के अपराधों के लिए सजा।

- 3 [(1) जो कोई भी, एक नहीं है

द्वारा दी गई तुच्छ जानकारी

लोक सेवक ", हालांकि

अनुसूचित जाति का सदस्य या

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने

अनुसूचित जनजाति, -

(ix): कोई गलत या तुच्छ देता है

अभियोजन के लिए मंजूरी से इनकार

किसी भी लोक सेवक के गठन में और

जो स्पष्ट रूप से नहीं है

इस प्रकार ऐसे लोक सेवक को

झूठी या तुच्छ जानकारी।

चोट के लिए अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करें या

इस प्रकार, धारा 3 (1) (ix) के तहत एक मामला

ए के सदस्य की झुंझलाहट

एस. सी./एस. टी. अधिनियम नहीं बनाया गया है।

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति

जनजाति;

धारा 3 (2) (vi) के कारण

3 (2) (vi): जानबूझकर या कारण के साथ

यह विश्वास करना कि एक अपराध किया गया है

सबूतों का गायब होना

इस अध्याय के तहत किए गए कारण

अपराधी की जाँच करने का इरादा

आयोग का कोई साक्ष्य

कानूनी सजा से, हालांकि,

उस अपराध के साथ गायब होने के लिए

वर्तमान मामले में, कोई नहीं है

अपराधी की जाँच करने का इरादा

आरोप है कि याचिकाकर्ता ने

कानूनी सजा से, या उसके साथ

किसी के गायब होने का कारण बना सबूत। इसलिए सामग्री

इरादा कोई भी जानकारी देता है

उस अपराध का सम्मान करते हुए जो उसने

धारा 3 (2) (vi) का उल्लेख नहीं किया गया है।

जानता है या गलत होने का विश्वास करता है,

दंडनीय

उस अपराध के लिए प्रावधान किया गया;

चूँकि धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं है

(vii) एक लोक सेवक होने के नाते, प्रतिबद्ध है

इस धारा के तहत कोई अपराध,

एस. सी. एस. टी. इस खंड से बना है

कारावास से दंडनीय होना

आकर्षित नहीं किया जा सकता।

एक कार्यकाल जो इससे कम नहीं होगा एक वर्ष लेकिन जो विस्तारित हो सकता है

उस अपराध के लिए सजा का प्रावधान किया गया था।

आई. पी. सी. के प्रावधानों का आरोप

प्रावधानों की प्रयोज्यता तत्काल मामले के तथ्यों में

182. गलत जानकारी के साथ

गलत जानकारी है

जानकारी जो दी गई है

लोक सेवक को डी. आर. बनाने का इरादा।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य

और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।

जानबूझकर दिया गया

अपनी कानूनी शक्ति का उपयोग करें

किसी अन्य व्यक्ति की चोट।

धोखा देने का इरादा। हालांकि,

-

जो भी किसी भी जनता को देता है

इस मामले में मंजूरी से इनकार के लिए

अभियोजन का अर्थ नहीं लगाया जा सकता है

किसी भी जानकारी को सेव करें जो वह

जानता है या गलत मानता है,

किसी भी मामले में गलत जानकारी के रूप में

इस प्रकार कारण बनाने का इरादा रखते हुए,

या

रास्ता।

यह जानते हुए कि वह होने की संभावना है

प्रशासनिक प्राधिकरण।
इसलिए कोई मामला नहीं बनता है।

इस प्रकार, ऐसे लोक सेवक

संहिता की धारा 182 के तहत।

(क) कुछ भी करना या छोड़ना जो

ऐसे लोक सेवक को नहीं करना चाहिए

1

यदि तथ्यों की सही स्थिति है तो करें या छोड़

दें

ऐसी जानकारी के संबंध में

दिया गया है जो उसके द्वारा जाना जाता है, या

एस.

(ख) की विधिसम्मत शक्ति का उपयोग करना

1

चोट के लिए ऐसे लोक सेवक

या किसी व्यक्ति की नाराज़गी,

कारावास से दंडित किया जाए

या तो एक शब्द के लिए विवरण जो

छह महीने तक बढ़ सकता है, या

जुर्माना जो एक तक बढ़ सकता है

हजार रुपये, या दोनों के साथ।

एफ.

192. झूठे सबूत गढ़ना।

धारा 192 के अवयव

इसलिए आई. पी. सी. नहीं बनाया गया है।

किसी भी

-जो भी हो

कारण

आर

परिस्थितियों का अस्तित्व या * [बनाता है]

यह धारा लागू नहीं होगी

1

किसी भी पुस्तक में कोई गलत प्रविष्टि या

वर्तमान मामला। यह एक नहीं था

न्यायिक कार्यवाही और

अभिलेख, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या

एस.

कोई भी दस्तावेज़ या इलेक्ट्रॉनिक बनाता है

याचिकाकर्ता ने न तो मनगढ़ंत किया है

जे.

झूठा

झूठा सबूत और न ही कोई सबूत दिया गया

अभिलेख में शामिल हैं

ए

एस.

कथन, जिसका आशय यह है कि

किसी भी पुस्तक, अभिलेख या अभिलेख में गलत प्रविष्टि

इलेक्ट्रॉनिक डेटा। केवल व्यायाम करें।

परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत

बयान सबूत में दिखाई दे सकता है

प्रशासनिक शक्ति नहीं हो सकती है

न्यायिक कार्यवाही में, या

मनगढ़ंत झूठ के रूप में समझा जाए

एक के समक्ष कानून द्वारा की गई कार्यवाही

सबूत।

एफ.

लोक सेवक के रूप में या उससे पहले

1

एक मध्यस्थ, और वह कि

परिस्थिति, गलत प्रविष्टि या गलत

बयान, सो में दिखाई दे रहा है

सबूत, किसी भी व्यक्ति का कारण बन सकता

है

ऐसी कार्यवाही में किसे गठन करना है

साक्ष्य पर एक राय,

ई.

गलत राय दें

किसी भी बिंदु सामग्री को स्पर्श करना

1

ऐसी कार्यवाही का परिणाम कहा जाता है,

" झूठे सबूत गढ़ने के लिए "।

वहाँ से

गलत नहीं था

193. झूठ बोलने पर सजा

जो भी हो।

सबूत ',

सबूत।

इसलिए

द.

सजा

में से

जानबूझकर गलत सबूत देता है

संभावना

गलत सबूत जमा करना है

न्यायपालिका के किसी भी स्तर पर

खारिज कर दिया।

कार्यवाही करते हैं, या झूठ गढ़ते हैं

होने के लिए सबूत न्यायपालिका के किसी भी चरण में उपयोग किया जाता है।

कार्यवाही, दंडित किया जाएगा

एक शब्द के लिए विवरण जो हो सकता है सात साल तक बढ़ाया जाएगा

जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, और जो कोई भी जानबूझकर देते हैं या गढ़ते हैं

किसी अन्य मामले में झूठा सबूत,

एक अवधि के लिए जिसका विस्तार हो सकता है तीन साल, और यह भी होगा

उत्तरदायी। 203. गलत जानकारी देना

पहले से बताए गए कारणों के लिए

अपराध

इसके ऊपर, वर्तमान मामला

सम्मान करते हैं।

अ.

प्रतिबद्ध। - जिसे पता हो।

सामग्री को पूरा नहीं करता है

या विश्वास करने का कारण है कि एक

इसलिए यह खंड है

अपराध किया गया है, देता है

मुकदमा चलाने से रोका गया

उस संबंध में कोई जानकारी

यहाँ। केवल एक वरिष्ठ की राय

अपराध जिसे वह जानता है या

एसीआर में अधिकारी नहीं है

गलत देने की राशि

माना जाता है कि यह गलत होगा

जानकारी दी।

कारावास की सजा

दो साल तक बढ़ सकता है, या ठीक है, या दोनों के साथ।

219. न्यायपालिका में लोक सेवक

मंजूरी देने से इनकार

भ्रष्ट तरीके से आगे बढ़ना

दोनों सरकारों पर मुकदमा चलाएँ

जिनके खिलाफ सेवक

रिपोर्ट, आदि, कानून के विपरीत। - जो कोई भी, एक लोक सेवक होने के नाते,

चींटी/प्रतिवादी नं. शिकायत करें। 2

भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण रूप से करता है या

मूल रूप से एक प्राथमिकी दर्ज की थी

बनाने के रूप में नहीं माना जा सकता है

ए के किसी भी चरण में उच्चारण

भ्रष्ट रिपोर्ट इसलिए मामला

न्यायिक कार्यवाही, कोई भी रिपोर्ट,

याचिकाकर्ता का नहीं गिरता है

आदेश निर्णय, या निर्णय जो

वह कानून के विपरीत होना जानता है,

इस दायरे में

के साथ

प्रावधान।

किसी भी विवरण का कारावास एक अवधि के लिए जिसका विस्तार हो सकता है

सात साल, या जुर्माने के साथ, या

दोनों।

डॉ. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

11. विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा पारित आदेश के पाँच साल बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आदेश पारित किया गया था

गिरफ्तारी केवल तभी की जा सकती है जब 'विश्वसनीय' जानकारी हो और केवल तभी जब पुलिस अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अपराध किया गया था और ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक थी। इस प्रकार, शक्ति गिरफ्तारी का प्रयोग धारा 41 और 41 ए Cr.P.C के तहत अभिप्रेत सुरक्षा उपायों का पालन करने के बाद ही किया जाना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 41 Cr.P.C में 'विश्वास करने का कारण' अभिव्यक्ति को आईपीसी की धारा 26 और उक्त अभिव्यक्ति की व्याख्या करने वाले निर्णयों के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए। उक्त अभिव्यक्ति संदेह के बराबर नहीं थी। इस संबंध में 'ज्योति प्रसाद बनाम हरियाणा राज्य', 'बदन सिंह @बद्दो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य & Ors.2, आद्री धरण दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 3, टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त और गंगा सरन एंड संस प्राइवेट लिमिटेड का संदर्भ दिया गया है। लिमिटेड बनाम आयकर अधिकारी & Ors.[3] वर्तमान संदर्भ में, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अभियुक्त की स्वतंत्रता के अधिकार को संतुलित करने के लिए, जिसे केवल निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया द्वारा छीन लिया जा सकता है और पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग और एक नागरिक के साथ अन्याय की जांच करने के लिए, गिरफ्तारी के अधिकार के प्रयोग को संविधान के अनुच्छेद 141 के साथ पठित अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय द्वारा दिशानिर्देशों के माध्यम से उपयुक्त रूप से विनियमित करने की आवश्यकता थी। कुछ

1 1993 पूरक (2) एस. सी. सी. 497

2 2002 क्रिएलजे 1392

3 3 (2005) 4 एससीसी 303

4 (2015) 11 एस. सी. सी. 628

5 (1981) 3 एस. सी. सी 143

कानून के शासन को मजबूत करने के लिए अनुच्छेद 14 और 21 के अधिदेश को पूरा करने के लिए फिल्टर को शामिल करने की आवश्यकता थी।

13. विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने आम तौर पर

गुरबख्श सिंह सिबिया आदि बनाम पंजाब राज्य 1 2 में न्यायपीठ का निर्णय। यदि किसी न्यायालय को अग्रिम जमानत देने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है 6 (1994) 4 एससीसी 260

7 (2003) 2 एस. सी. सी. 649

8 (2009) 10 एससीसी 488 9 (2014) 8 एस. सी. सी. 273

10 (2016) 11 एस. सी. सी. 703 1 11 (1995) 3 एस. सी. सी. 221

12 (1980) 2 एससीसी 565 डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

हत्या, बलात्कार, डकैती, डकैती सहित अधिकांश जघन्य अपराधों में,

डी. पी. एस., राजद्रोह आदि, जो अग्रिम जमानत देने के लिए व्यक्तिगत मापदंडों के आधार पर लंबी अवधि के लिए दंडनीय हैं, अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में ऐसी शक्ति को छीनना भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बहिष्करण का, यहां तक कि जहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग नहीं की गई थी, अत्याचार अधिनियम के निष्कासन के साथ कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में, निर्भरता रखी गई है

सिबिया (ऊपर) में अवलोकन।

" 10. श्री वी. एम. तारकुंडे, कुछ की ओर से उपस्थित हुए

अपीलार्थियों ने अन्य अपीलार्थियों की दलीलों का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, इसलिए अदालतों को धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाने के खिलाफ झुकना चाहिए, जब उस धारा के संदर्भ में विधायिका द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। विद्वान सलाहकार

संविधान के अनुच्छेद 21 को लागू करके तर्क में एक नया आयाम जोड़ा गया। उन्होंने आग्रह किया कि धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है जिसे उस अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसके संबंध में वह जमानत चाहता है और जिसे ऐसा करना चाहिए।

इसलिए निर्दोष माना जाए। उस धारा की वैधता की जांच तदनुसार निष्पक्षता और तर्कसंगतता के परीक्षण द्वारा की जानी चाहिए जो अनुच्छेद 21 में निहित है। यदि विधायिका स्वयं अग्रिम जमानत देने पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है, तो ऐसा प्रतिबंध लग सकता है।

अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के रूप में खारिज कर दिया गया है। इसलिए, धारा 438 के दायरे का निर्धारण करते समय,

विद्वान वकील के अनुसार, सीमा होगी अनुच्छेद 21 का उल्लंघन, चाहे वह कानून द्वारा लागू किया गया हो या न्यायिक निर्णय द्वारा।

13. .... उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, जिनके लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया जाता है, को मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों पर और मामले जैसी शर्तों पर जमानत देने के लिए अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए, यदि वे ऐसा करना उचित समझते हैं।

आदेश दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. .... न्यायिक शक्ति का एक बुद्धिमान प्रयोग अनिवार्य रूप से लेता है

उन बुरे परिणामों की देखभाल करना जिनसे बाहर निकलने की संभावना है

इसका अनुचित उपयोग। 26. हम श्री तारकुंडे के निवेदन में बहुत सार पाते हैं कि चूंकि जमानत से इनकार करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के बराबर है, इसलिए अदालत को इसके खिलाफ झुकना चाहिए।

धारा 438 के दायरे पर अनावश्यक प्रतिबंधों का अधिरोपण, विशेष रूप से जब उस धारा के संदर्भ में विधायिका द्वारा ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। धारा 438 एक प्रक्रियात्मक प्रावधान है जो उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, जो निर्दोष होने के अनुमान का लाभ पाने का हकदार है, क्योंकि वह अग्रिम जमानत के लिए अपने आवेदन की तारीख को उस अपराध के लिए दोषी नहीं है, जिसके संबंध में वह जमानत मांगता है। बाधाओं और शर्तों का एक अत्यधिक उदार निवेश जो धारा 438 में नहीं पाया जाता है, इसके प्रावधानों को संवैधानिक रूप से बना सकता है।

कमजोर क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं हो सकता है अनुचित के अनुपालन पर निर्भर किया गया

प्रतिबंध। धारा 438 में निहित लाभकारी प्रावधान को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि हटा दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेनका गांधी (1978) 1 एस. सी. सी. 248 के निर्णय के बाद, कि संविधान के अनुच्छेद 21 की चुनौती का सामना करने के लिए, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए। धारा 438, जिस रूप में इसकी परिकल्पना विधायिका द्वारा की गई है, खुली है।

इस आधार पर कोई अपवाद नहीं है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है जो अन्यायपूर्ण या अनुचित है। हमें, किसी भी कीमत पर, इसे पढ़कर संवैधानिक चुनौती के लिए खुले में फेंकने से बचना चाहिए। उसमें ऐसे शब्द नहीं पाए जाते।

16. रिलायंस ने ताराचंद शाह बनाम भारत संघ और Anr.[13] 13 में इस अदालत के हालिया फैसले को भी रखा है।

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 45

अनुशासनात्मक। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रावधान के तहत जमानत देने पर प्रतिबंध जब इस तरह के प्रतिबंध समान व्यवहार में सक्षम अन्य अपराधों पर लागू नहीं होते हैं तो यह भेदभावपूर्ण और सिद्धांत के खिलाफ होता है

न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया।

) 13 स्केल 609,2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1355 डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अपील का समर्थन करने वाले मध्यस्थ के लिए वकील की प्रस्तुतियाँ

स्टेशन ने आरोप लगाया कि उसने, यहाँ अपीलार्थी के साथ मिलीभगत में, प्रतिवादी पर दबाव डाला। 2 कराड पुलिस स्टेशन में दर्ज 2016 की एफ़. आई. आर. No.164 को वापस लेने के लिए और उसने प्रतिवादी नं. 2 ए में यौन उत्पीड़न का मामला। वह पिछले आठ वर्षों से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पुणे में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं, जहाँ प्रतिवादी नंबर 2 एक स्टोरकीपर के रूप में काम कर रहा था। उसने अपने यौन उत्पीड़न के लिए उसके खिलाफ शिकायत की थी और एक प्रतिक्रिया के रूप में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अत्याचार अधिनियम के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सत्र अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने 23 नवंबर, 2017 के आदेश के माध्यम से गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने धारा 107 Cr.P.C के तहत कार्यवाही शुरू की और हस्तक्षेपकर्ता को मजिस्ट्रेट से 2 दिसंबर, 2017 को नोटिस प्राप्त हुआ। यह प्रस्तुत किया गया था कि झूठे निहितार्थ, अनुचित उत्पीड़न और गिरफ्तारी के लिए अनावश्यक के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं थी और इस प्रकार, इस न्यायालय को इस न्यायालय द्वारा निर्धारित न्यायसंगत और उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की अनुचित और मनमाना शक्ति के खिलाफ सुरक्षा उपायों को शामिल करना चाहिए। यह प्रस्तुत किया गया था कि ऐसी आवश्यकता कानून की अंतर्निहित आवश्यकता थी लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा था।

18. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर स्थायी समिति (2014-15) की 19 दिसंबर, 2014 की छठी रिपोर्ट को देखते हुए अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक गारंटी को लागू करने के लिए सुरक्षा उपाय निर्धारित करना आवश्यक था। जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2014 ने मंत्रालय के इस रुख को खारिज कर दिया कि अत्याचार अधिनियम के तहत झूठे या दुर्भावनापूर्ण निहितार्थ के खिलाफ कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें यह देखा गया थाः

" 3.9 समिति मंत्रालय के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है कि जो लोग अधिनियम के प्रावधानों का दुरुपयोग करते पाए जाते हैं, उन पर अधिनियम के सामान्य कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सकता है।

आई. पी. सी. की संबंधित धाराओं के तहत भूमि। समिति का दृढ़ विचार है कि पी. ओ. ए. अधिनियम, एक विशेष कानून होने के नाते, इस हद तक संपूर्ण होना चाहिए कि इसमें एक [2018] 4 एस. सी. आर. शामिल होना चाहिए।

उन लोगों के लिए भी न्याय सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित प्रावधान, जिन्हें इसके तहत दुर्भावनापूर्ण तरीके से फंसाया गया है। इससे भी अधिक, जब कानून निर्माताओं ने इस तरह के मुद्दों/संदेहों को दूर करने में ऐसी स्पष्टता दिखाई है जब उन्होंने खंड 14 (दंड) डाला है।

'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम,

निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 "।

19. इस प्रकार, जब तक कि यह न्यायालय उचित दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं करता है, वहाँ

ई मनमाना गिरफ्तारी या झूठी गिरफ्तारी के खिलाफ कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन। हस्तक्षेपकर्ता ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए

निम्नलिखित कारक हैं:

" ए। घटना और उकसावे की तारीख और समय।

बी।

पक्षों या प्रतिद्वंद्विता के बीच पहले से मौजूद विवाद।

शामिल मुद्दे की गंभीरता।

सी.

दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों की प्रकृति।

डी।

पीड़ित द्वारा आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य और

ई.

अभियुक्तों को उनके मामले को साबित करने के लिए पेश किया जाएगा

समिति।

एफ.

आरोपों से बचने के लिए कार्यवाही दर्ज की जा सकती है।

पक्षपात और गैर-पारदर्शिता।

20. निम्नलिखित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों का सुझाव दिया गया है -

हस्तक्षेप करने वाले के लिए अनुचितः

" विशेष रूप से पी. ओ. ए. के तहत अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी

अधिनियम केवल पूर्व मंजूरी के साथ बनाया जाना चाहिए मजिस्ट्रेट। हालाँकि आई. पी. सी. के तहत अन्य अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी किए जाने की स्थिति में यह लागू नहीं हो सकता है। इसके अलावा अपराध की गंभीरता को भी देखने की आवश्यकता है क्योंकि संस्थागत स्तर पर अधिकांश मामले केवल लोक सेवकों द्वारा केवल विवाद या कार्रवाई के आधार पर होते हैं।

उनकी आधिकारिक क्षमता।

दूसरा, यदि पी. ओ. ए. अधिनियम के तहत अभियुक्त लोक अभियोजक को पूर्व सूचना के साथ आत्मसमर्पण करता है, तो उसकी जमानत याचिका पर उसी दिन विचार किया जाना चाहिए और यदि नियमित जमानत नहीं है, तो कम से कम सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम में अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

न्याय का हित। इस आवश्यकता को खंड में पढ़ा जा सकता है

18 पी. ओ. ए. अधिनियम "।

21. इस निवेदन के समर्थन में कि अदालतों ने कानून के उपयोग को स्वीकार किया है, निम्नलिखित पर भी निर्भरता रखी गई है:इनमेः

जोन्स बनाम राज्य 1 4 में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें उच्च न्यायालय ने टिप्पणी कीः " इस न्यायालय ने हाल ही में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जनजातियों की रोकथाम) के दुरुपयोग को प्रकाश में लाया है।

अन्य समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार) अधिनियम, 1989। यह अधिनियम के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम लाने का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर किए गए अत्याचारों को कम करना है। कानून लागू करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि

पक्षकारों के बीच अन्य विवादों को निपटाने के लिए इसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, जो अधिनियम के तहत विचार किए गए प्रावधानों से अलग है। प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए अधिनियमित एक अधिनियम भी अनुचित हो सकता है, जब इसका अत्यधिक उत्साह से प्रयोग किया जाता है

उन पर "। डॉ. एन. टी. देसाई बनाम में गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय। की स्थिति

गुजरात 1 5 अवलोकन कर रहा हैः

" लेकिन फिर शिकायत की अधिक बारीकी से जांच करने के बाद विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किए गए अजीब तथ्यों की स्थिति की पृष्ठभूमि और प्रकाश में अंततः शिकायत दर्ज करने के लिए, यह न्यायालय शुरू में ही शिकायतकर्ता की कहानी के बारे में कुछ संदेह में है और फिर भी अगर यह आसानी से, यांत्रिक रूप से एक भद्दे बच्चे की तरह है।

शिकायत में लगाए गए आरोपों को उसके अंकित मूल्य पर स्वीकार करता है, यह निश्चित रूप से गलती और भटकना होगा

जमानत के मार्ग से न्याय, षड्यंत्रकारी शिकायतकर्ता के हाथों में खुद को आसानी से उपलब्ध कराना, जो केवल पूछने पर अत्याचार के तहत गैर-जमानती अपराध करने के कुछ झूठे आरोपों पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेगा।

एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 922: 2004 क्रिएलजे 2755

अधिनियम, जिसका अर्थ है कि न्यायालय अपनी सामान्य समझ को गिरवी रखते हुए खुद को काफी बधिर, गूंगा और अंधा बना रहा है, सामान्य

न्याय के लिए कोई धारणा के बिना विवेक, आरोपी को सही सुरक्षा से इनकार करना, कभी-कभी षड्यंत्रकारी, बेईमान के हाथों में लचीले होने के लिए तैयार प्यादा बनना।

शिकायत करने वाले! ! ! शिकायत में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आरोप के सामने इस तरह का आत्मसमर्पण न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है, अगर गैर-न्यायिक नहीं है! ! पुनरावृत्ति की कीमत पर, 1 यह स्पष्ट करता है कि ये अवलोकन केवल प्रारंभिक हैं, इस समय केवल मामले की विशिष्ट पृष्ठभूमि में मंच पर प्रकाश डाला गया

याचिकाकर्ता-अभियुक्त द्वारा और उस उद्देश्य के लिए भविष्य में भी अभियुक्त द्वारा कुछ अन्य मामलों में अदालत की संतुष्टि के लिए इस तरह से उजागर किया जा सकता है! इसका कारण आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना है।

अभियुक्त द्वारा उजागर किया गया जो कथित रूप से सक्रिय था उसे पीड़ित करने के लिए शिकायतकर्ता, यदि अंततः मुकदमे के अंत में अभियुक्त ने बचाव में जो प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार कर लिया जाता है

संभावित या सत्य के रूप में और इसके परिणामस्वरूप, अभियुक्त को एक शुद्ध बिल दिया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि शिकायत और कुछ नहीं बल्कि झूठी थी, व्यक्तिगत प्रतिशोध को नष्ट करने के बावजूद उस मामले में वास्तव में क्या होगा

याचिकाकर्ता के हाथों में उपचार और निवारण, जो तत्काल मामले में पेशे से डॉक्टर है और उस उद्देश्य के लिए

उसके खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करके कलंकित किया गया लेकिन वह आगे मुकदमे के अधीन खड़ा होगा! ! इतना ही नहीं, बल्कि उससे पहले भी जनता की नज़रों के सामने गिरफ्तारी हुई और विशेष अदालत में ले जाया गया जहाँ केवल वह ही जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता था! इस प्रकार, सभी प्रकार की पीड़ाओं, पीड़ाओं और पीड़ाओं के अधीन रहते हुए जनता की नज़रों में उनकी छवि और सम्मान को कम किया गया क्योंकि जब न्यायालय से संपर्क किया गया तो उसने असहाय रवैया अपनाया? इसके तहत हैरान करने वाली परिस्थितियाँ, वास्तव में न्यायालय का चेहरा क्या होगा और कुछ पीड़ित निर्दोष अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार करने वाले न्याय प्रशासन का भाग्य क्या होगा

वह चरण जब वह इस उद्देश्य के लिए अदालत की हिरासत में आत्मसमर्पण करता है? ! ! क्या न्याय करने की घोषणा करने वाले न्यायालय को किसी शरारती शिकायतकर्ता के हाथों शर्म से मूर्ख बनाया जाना चाहिए! ! मान लीजिए कि गलत साक्ष्य देने के लिए सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

न्यायालय के समक्ष, शिकायतकर्ता को आदेश दिया जाता है कि

मुकदमा चलाया जाता है, लेकिन फिर शिकायतकर्ता के इस तरह के अभियोजन एक निर्दोष को पहले से ही किए गए नुकसान को वापस लाएंगे! ! शिकायतकर्ता द्वारा पैदा की गई इस सबसे शर्मनाक और कष्टप्रद स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जब एक संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में यह न्यायालय नागरिकों की स्वतंत्रता की उत्साहपूर्वक रक्षा करने के लिए बाध्य है, तो क्या यह असहाय रूप से देख रहा है और कभी-कभी निष्क्रिय रूप से खुद को प्रथम दृष्टया आत्मसमर्पण कर देता है। अभियुक्त को साधारण जमानत देने से इनकार करने वाली दुर्भावनापूर्ण शिकायत? इस संबंध में, शायद, यह मूर्खतापूर्ण कहा जा सकता है कि अभियुक्त को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए मुआवजा दिया जा सकता है और

जमानत या अग्रिम जमानत का अंतिम इनकार! ! यह सच है, लेकिन फिर उस मामले में कोई भी अदालत क्या मुआवजा देने की स्थिति में हो सकती है जब शिकायतकर्ता एक ऐसा व्यक्ति है जो इतना गरीब है कि एक भी पैसा देने में असमर्थ है? ! ! इतना ही नहीं, लेकिन अगर शिकायतकर्ता अमीर है और मुआवजे का भुगतान करने में सक्षम है, तो कोई भी मौद्रिक मुआवजा कभी भी गलत आरोपी को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति कर सकता है।

दुर्भावनापूर्ण शिकायतकर्ता? यही वह जगह है जहाँ इस न्यायालय की अंतरात्मा दबी हुई है और बहुत परेशान है और वास्तव में एक रात की नींद उड़ जाएगी अगर हमें यह नहीं पता होना चाहिए कि याचिकाकर्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में काफी निर्दोष है और तदनुसार जमानत न्याय का एक जरूरतमंद उपभोक्ता है और फिर भी अनावश्यक रूप से गिरफ्तारी के अधीन है जिसे पुलिस हिरासत में ले जाया जाता है और फिर इनकार के कारण अदालत के समक्ष ले जाया जाता है।

इसी मुद्दे पर विचार करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने धीरेन प्रफुल्लभाई शाह बनाम गुजरात राज्य मामले में निम्नलिखित टिप्पणी कीः " 48. अपनी वर्तमान बैठक के दौरान, मुझे ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें अत्याचार अधिनियम के प्रावधान हैं -

दुरुपयोग किया गया। मैंने पाया कि चुनावों के तुरंत बाद विभिन्न शिकायतें दर्ज की जाती हैं, चाहे वह पंचायत हो, नगर निगम हो या निगम, अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध का आरोप लगाते हुए। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि

F.I.R.s/शिकायतें केवल चुनाव में हार के बाद अपने विरोधियों के साथ स्कोर का निपटारा करने के लिए दायर की गई थीं। मैं भी आया हूँ।

विभिन्न मामलों में, जिसमें निजी नागरिक विवाद उत्पन्न होते हैं

[2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

संपत्ति से बाहर, मौद्रिक मामले, एक के बीच विवाद कर्मचारी और नियोक्ता, अधीनस्थ और नियोक्ता के बीच विवाद

उसके वरिष्ठ को दंड दिया जाता है और शिकायतें या तो धारा 190 आर/डब्ल्यू के तहत दर्ज की जा रही हैं। 200 या F.I.Rs. पुलिस स्टेशन में। यह मामला अधिनियम के दुरुपयोग का एक और उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले देखा है, लाने का उद्देश्य

निर्दोष नागरिकों को आरोपी बनाया जाता है। इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि अत्याचार अधिनियम में धारा-18 है, जो अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है, अगर अपराध अत्याचार के तहत एक है। एक्ट करें। यदि किसी व्यक्ति पर हत्या, डकैती, बलात्कार आदि करने का आरोप है, तो वह धारा के तहत अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता है।

438 Cr.P.C. इस आधार पर कि वह निर्दोष है और है

गलत तरीके से शामिल किया गया था, लेकिन अगर किसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध करने वाला, अधिनियम की धारा-18 के प्रतिबंध के कारण अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता है, और वह गिरफ्तार हो जाएगा। यह अधिकारियों के लिए प्रावधानों के किसी भी दुरुपयोग से बचने का कारण है

अत्याचार अधिनियम। ”

पंकज डी. सुथार बनाम गुजरात राज्य में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय में कहा गया हैः

) 1 जी. एल. आर. 405 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

" 4. ..... लेकिन फिर, इस न्यायालय के अनुसार सामाजिक लाभकारी कानून बनाने में संसद के सामूहिक विवेक के माध्यम से सबसे स्वागत योग्य कदम का दुरुपयोग करने और व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए ब्लैकमेल करने के साधन में परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या विरोधियों के खिलाफ कुछ जवाबी हमलों के माध्यम से कुछ लोक सेवक, जैसा कि वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में बुनियादी सवाल ये हैं-क्या अंधेरा दूर करने के लिए जो मशाल जलाई जाती है, क्या उसे निर्दोष परिवेश में आग लगाने की अनुमति दी जा सकती है? चाहे एक चाकू एक

उपकरण जो उपयोग करके मानव जीवन को बचाने के लिए है

उसी तरह एक सर्जन द्वारा ऑपरेशन के दौरान, क्या इसे किसी निर्दोष की जान लेने में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है? तथ्यों में भी यही मौलिक प्रश्न उत्पन्न होता है और

इस मामले की परिस्थितियाँ भी। , ' क्या एस. सी. और एस. टी. समुदायों के समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अधिनियमित वर्तमान अत्याचार अधिनियम जैसे किसी भी क़ानून का आसानी से दुरुपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। विरोधियों से व्यक्तिगत बदला लेना? ' इस सवाल का जवाब निस्संदेह और स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि न्यायालयों को अत्याचार अधिनियम की धारा 18 के ऐसे प्रावधान को लागू करना है

केवल कुछ शब्दों के आधार पर कुछ सामान्य और लोकप्रिय पूर्वाग्रहों और शिकायत में केवल धारणाओं पर मुश्किल आरोपों के आधार पर समझदारी से जांच और संभावनाओं का परीक्षण किए बिना,

शिकायत आदि में आरोपों की सच्चाई, वास्तविकता और अन्यथा निर्भरता, तो यह केवल अनजाने में और विश्वास के साथ न्याय से इनकार करने में कुछ षड्यंत्रकारी बेईमान शिकायतकर्ता के हाथों में खेलना होगा। वस्तुतः, यह अपने न्यायिक कर्तव्य को त्यागने और अस्वीकार करने के समान होगा, ऐसे मामलों में ऐसे बेईमान शिकायतकर्ता के पक्ष और हाथों में न्याय करने का कार्य।

उसे अपने मामले में न्यायाधीश बनाना। यह केवल अकल्पनीय है और इसलिए अस्वीकार्य है। क्या किसी विशेष अधिनियम के प्रावधान और उस उद्देश्य के लिए बनाए गए नियम [2018] 4 एस. सी. आर. के तथ्यों पर लागू होते हैं।

विशेष मामला है या नहीं, हमेशा और निर्विवाद रूप से एक मामला है

जो सख्ती से और विशेष रूप से के क्षेत्र के भीतर निहित है ' न्यायिक विचार-विवेकाधिकार और इसलिए न तो शिकायतकर्ता पर स्वयं लगाए गए आरोप और न ही अभियुक्त द्वारा किए गए इनकार या तो स्वचालित रूप से न्यायालय को अपने अंतिम न्यायिक कार्य के निर्वहन से वंचित कर सकते हैं।

प्रथम दृष्टया बारीकी से जांच और परीक्षण करने का कर्तव्य

शिकायत में लगाए गए आरोपों की निर्भरता और

अपने निर्णय पर पहुँचें। " शरद बनाम राज्य में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय

महाराष्ट्र 1 8 अवलोकन कर रहा है:

" 12. हम जल्दबाजी में जोड़ते हैं कि इस तरह की शिकायतों के लिए

धारा 3 (1) (x) के प्रावधानों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (रोकथाम)

अत्याचार) अधिनियम, 1989, विशेष रूप से लोक सेवकों/अर्ध न्यायिक/न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निहित स्वार्थों की संतुष्टि के लिए अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दायर किया जा रहा है। हम सोचते हैं।

बार के विद्वान सदस्यों के पास बहुत अधिक सामाजिक संबंध हैं

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी और दायित्व कि समाज का सामाजिक ताना-बाना क्षतिग्रस्त या बर्बाद न हो। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

कि अतिरंजित संस्करणों में प्रतिबिंबित नहीं होना चाहिए

अपमानजनक प्रभाव वाली आपराधिक शिकायतें

लोक सेवकों को भी। हम अपने सार्वजनिक कर्तव्यों और कार्यों का पालन करते हुए उन्हें भयभीत, दुखी और भयभीत स्थिति में डालना बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम यह भी सोचते हैं कि 1989 के अधिनियम के प्रावधानों पर एक गंभीर पुनर्विचार, जिनका अब बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है, विधानमंडल द्वारा आवश्यक है। बेशक, व्यावहारिक वास्तविकताओं और जनमत के आधार पर। इस फैसले की एक प्रति कानून को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

सूचना आयोग। ”

22. इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त निर्णय केवल यह दिखाने के लिए हैं कि कानून का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर था। यदि केवल राष्ट्रों को पर्याप्त माना जाता है, तो यह किसी नागरिक की व्यक्तिगत व्यावसायिक प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। एक ओर सभी हितों और शांति को संतुलित

करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर ऐसे झूठे आरोपों से अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता है। अगर आरोप खिलाफ हैं

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

एक कर्मचारी, प्रत्येक विभाग में निम्नानुसार एक समिति का गठन किया जाना चाहिएः

" आई. प्रत्येक संस्थान के नियोक्ता या प्रमुख को अत्याचारों से संबंधित मामलों और विशिष्ट शिकायतों को देखने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने का निर्देश दिया जा सकता है।

एससी/एसटी के सदस्यों पर प्रतिबद्ध। ii. कि कोई भी एफ. आई. आर. या आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, सहायक साक्ष्य के साथ संस्था की आंतरिक समिति को एक लिखित शिकायत दी जानी चाहिए।

iii. ऐसी समिति को दोनों पक्षों और अन्य साक्ष्यों को सुनकर मामले की प्रारंभिक जांच करने की शक्ति दी जा सकती है, ताकि अस्तित्व का पता लगाया जा सके।

पी. ओ. ए. अधिनियम के तहत एक प्रथम दृष्टया मामला "।

23. यह भी सुझाव दिया गया है कि मजिस्ट्रेट को यह पता लगाने के लिए कि क्या यह प्रथम दृष्टया मामला है, शिकायत/एफ. आई. आर. में कथनों का सत्यापन करना चाहिए। यह पता लगाया जाता है कि क्या गिरफ्तारी आवश्यक थी और उसके बाद ही गिरफ्तारी की जानी चाहिए या जारी रखी जानी चाहिए।

24. हस्तक्षेपकर्ता के वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 के नियम 12 (4) के तहत मामला दर्ज करने के लिए केवल मौद्रिक प्रोत्साहन उपलब्ध होने के कारण अत्याचार अधिनियम का भी दुरुपयोग होने की संभावना है। इस तरह का प्रोत्साहन न केवल वास्तविक पीड़ितों को प्रोत्साहित कर सकता है, बल्कि केवल मौद्रिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए एक झूठा मामला दर्ज किए जाने के खिलाफ भी कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसे झूठे मामले प्रभावित व्यक्ति को बिना किसी उपाय के दायर किए जा सकते हैं।

25. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017 और संकलित आंकड़ों का भी संदर्भ दिया गया है

महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्ष 1990 से 2013 (दिनांक 30 अप्रैल, 2013) तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत महाराष्ट्र के संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष, ग्रामसेवक, तलथी, बी. डी. ओ., कलेक्टर, पलक मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आई. पी. एस., आई. ए. एस., आई. आर. एस., आई. एफ. एस., एम. एन. पी. आयुक्त, एम. एन. पी. सहायक आयुक्त, अन्य सरकारी अधिकारी/सेवक, अन्य गैर-सरकारी अधिकारियों/सेवकों (उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किए गए संख्यात्मक आंकड़े) के खिलाफ दर्ज अपराधों के संबंध में।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों (भारत में अपराध 2016-सांख्यिकी) के अनुसार

"अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचारों का पुलिस निपटान (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार)-2016" (तालिका 7ए. 4) और "अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराध/अत्याचारों का पुलिस निपटान (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार)-2016" (तालिका 7सी. 4) शीर्षक में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2016 में अनुसूचित जातियों के मामलों में से 5347 मामले झूठे मामले पाए गए और अनुसूचित जनजातियों के मामलों में से 912 झूठे मामले पाए गए। यह बताया गया कि वर्ष 2015 में अदालतों द्वारा तय किए गए 15638 मामलों में से 11024 मामलों को बरी या आरोपमुक्त किया गया, 495 मामलों को वापस लिया गया और 4119 मामलों के परिणामस्वरूप बरी किए गए।

दृढ़ विश्वास। (संदर्भः सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2016-2017)।

अपीलार्थी के खिलाफ हस्तक्षेप

27. बहुजन कर्मचारी कल्याण संघ के संयोजक होने का दावा करने वाले आनंद सखाराम जाधव द्वारा भी हस्तक्षेप का आवेदन दायर किया गया है। उक्त हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सी. यू. सिंह ने कहा कि जहां कानून स्पष्ट है, वहां न्यायालय द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया जाना चाहिए। रिलायंस को झारखंड और ए. एन. आर. राज्य में रखा गया है। बनाम गोविंद सिंह 1 और रोहिताश कुमार और ओआरएस बनाम ओम प्रकाश शर्मा और ओआरएस। 20 यह प्रस्तुत किया गया था कि यह न्यायालय विधान की प्रकृति में दिशानिर्देश निर्धारित नहीं कर सकता है। 28. श्री सी. यू. सिंह ने कहा कि बलौथिया (ऊपर) और मंजू देवी बनाम में अत्याचार अधिनियम की धारा 18 को पहले ही बरकरार रखा जा चुका है

ओंकारजीत सिंह अहलूवालिया "। उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भी भरोसा किया (अत्याचार निवारण) संशोधन विधेयक, 2013 दिनांक 14 जुलाई, 2014। इसमें यह कहा गया है कि प्रक्रियात्मक बाधाएं हैं जैसे कि गैर

मामलों का पंजीकरण, जांच में प्रक्रियात्मक देरी, गिरफ्तारी और आरोप पत्र दायर करने और मुकदमे में देरी और कम दोषसिद्धि दर जिसके कारण निवारक प्रावधानों के बावजूद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचार परेशान करने वाले स्तर पर जारी है, जिसके कारण अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है।

20 (2013) 11 एस. सी. सी. 451 21 (2017) 13 एससीसी 439 डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और यदि न्यायमित्र की दलीलें स्वीकार की जानी हैं, तो अधिनियम अप्रभावी और अक्षम हो जाएगा।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए. एस. जी.) की प्रस्तुतियाँ

30. विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया कि बलोथिया (ऊपर) और मंजू देवी (ऊपर) में निर्णयों को देखते हुए अत्याचार अधिनियम के प्रावधानों की वैधता के मुद्दे पर जाने का कोई अवसर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विलास पांडुरंग पवार और अन्र में इस न्यायालय के निर्णय। बनाम महाराष्ट्र राज्य और Ors.22 और शकुंतला देवी बनाम बलविंदर सिंह 2 3 अग्रिम जमानत देने की अनुमति देते हैं यदि प्रथम दृष्टया नहीं

मामला सामने आ गया है। इस प्रकार, वास्तविक मामलों में अग्रिम जमानत दी जा सकती है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि भारत सरकार ने 3 फरवरी, 2005,1 अप्रैल, 2010 और 23 मई, 2016 को परामर्श जारी किए थे और 2016 के संशोधन अधिनियम संख्या 1 के माध्यम से अत्याचार अधिनियम में भी संशोधन किया था, जिसमें विशेष न्यायालयों के साथ-साथ विशेष विशेष न्यायालयों के निर्माण का प्रावधान है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन. सी. आर. बी.) द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का उल्लेख करते हुए आगे यह प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2015 में पुलिस द्वारा जांच की गई कुल शिकायतों में से, अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित दोनों व्यक्तियों के लिए, लगभग 15-16% मामलों में, सक्षम पुलिस अधिकारियों ने समापन रिपोर्ट दायर की थी। 2015 में अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों में से,

75 % मामलों के परिणामस्वरूप मामलों को बरी/वापस लिया जाता है या उनका मिलान किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि अत्याचार अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और संसद में यह सवाल भी उठाया गया था कि झूठे मामलों में क्या सजा दी जानी चाहिए। जवाब दिया गया था कि एससी और एसटी के सदस्यों को सजा देने के लिए

जो विधायी प्रकृति का हो सकता है। इस मुद्दे पर विचार करना कि क्या इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं, गलत निहितार्थ और गिरफ्तारी के लिए अनावश्यक रूप से।

31. हम, शुरुआत में, यह देख सकते हैं कि इस न्यायालय की अधिकारिता मौलिक कानूनों को लागू करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए है।

22 (2012) 8 एस. सी. सी. 795

23 (2014) 15 एससीसी 521 [2018] 4 एस. सी. आर.

अधिकार संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में इस न्यायालय को संवैधानिक अधिकारों और मूल्यों को बनाए रखना है। अनुच्छेद 14,19 और 21 उन मूलभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कानून के शासन का आधार हैं। उक्त अधिकारों की सामग्री की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जिससे नागरिक उक्त अधिकारों का लाभ उठा सकें।

अधिकार। समानता और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को किसी भी अनुचित प्रक्रिया से संरक्षित किया जाना चाहिए, भले ही वह विधायिका द्वारा अधिनियमित हो। मूल और साथ ही प्रक्रियात्मक कानूनों को अनुच्छेद 14 और 21 के अनुरूप होना चाहिए। उक्त अधिकारों के किसी भी निरसन को इस न्यायालय द्वारा उचित आदेश या निर्देशों द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए। विधायिका की शक्ति का प्रयोग मौलिक अधिकारों के अनुरूप किया जाना चाहिए। किसी कानून का प्रवर्तन भी मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। निस्संदेह, इस न्यायालय के पास किसी भी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई के खिलाफ जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार क्षेत्र है। द.

अनुच्छेद 21 के तहत 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' अभिव्यक्ति का तात्पर्य न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया से है।

32. इस न्यायालय से निष्क्रिय या नकारात्मक भूमिका अपनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन। कोई भी प्रक्रियात्मक तकनीकीता मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के रास्ते में नहीं आ सकती है। इस न्यायालय के कई निर्णय हैं जहाँ इस दृष्टिकोण को अपनाया गया है और मौलिक अधिकारों को लागू करने की दृष्टि से जारी किए गए निर्देश जिन्हें कभी-कभी विधायी प्रकृति का माना जा सकता है। इस तरह के निर्देश निश्चित रूप से जारी किए जा सकते हैं और तब तक जारी रखे जा सकते हैं जब तक कि एक उपयुक्त कानून अधिनियमित नहीं किया जाता है। इस न्यायालय की भूमिका केवल विवाद निपटान और निर्देशों से परे है।

निश्चित रूप से जारी किया जा सकता है जो सीधे एक वैध के साथ संघर्ष में नहीं हैं

कानून 27। कानून घोषित करने की शक्ति, कर्तव्य की सीमाओं के भीतर, कानून बनाने के लिए होती है जब कोई मौजूद नहीं होता है।

33. भारत संघ बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ

24 मेनका गांधी बनाम यू. ओ. आई. (1978) 1 एस. सी. सी. 248, पैरा 82 से 85 25 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम यू. ओ. आई. (1984) 3 एस. सी. सी. 161, पैरा 13 26 विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) 6 एस. सी. सी. 241, पैरा 16; लक्ष्मीकांत पांडे बनाम। यू. ओ. आई. (1983) 2 एस. सी. सी. 244; सामान्य कारण v. यूओआई (1996) 1 एससीसी 753; एम. सी मेहता बनाम टी. एन. राज्य (1996) 6 एस. सी. सी. 756 27 सुप्रीम कोर्ट बार एसन। वी. यू. ओ. आई. (1998) 4 एस. सी. सी. 409,48 पैरा 28 दयराम बनाम सुधीर बाथम (2012) 1 एस. सी. सी. 333, पैरा 18 29 (1989 (2) एस. सी. सी. 754 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

" 7. ..... यह विवादित हुआ करता था कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं। आज, यह अब संदेह की बात नहीं है कि एक बड़ी मात्रा में

नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने और राज्य के कार्यों को विनियमित करने वाली कानून उच्च न्यायालयों के निर्णयों से प्रवाहित होती है। लॉर्ड रीड ने कहा, "एक समय था जब यह सुझाव देना लगभग अशोभनीय माना जाता था कि न्यायाधीश ऐसा करते हैं।

कानून-वे केवल इसकी घोषणा करते हैं। लेकिन हम अब निष्पक्ष कहानियों में विश्वास नहीं करते हैं। " " विधि निर्माता के रूप में न्यायाधीश ", पी। 22. यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में, जहां संसद विधायी अंग के रूप में सर्वोच्च है और राज्य की संवैधानिक संरचना के शीर्ष पर है, न्यायिक कानून बनाने की भूमिका सीमित है।

संसद और न्यायालयों द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या संसदीय कानूनों की वैधता पर सवाल उठाने की कोई शक्ति नहीं है, डाइसियन उक्ति यह सच मानती है कि अंग्रेज

संसद सर्वोपरि और सर्वशक्तिमान है। दूसरा, इंग्लैंड में न्यायालयों के प्रत्येक निर्णय में उल्लिखित कानून को संसद के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसा कि कॉकबर्न सी. जे. ने एक्सप में देखा। कैनन सेल्विन (1872) 36

जेपी जो 54: देश में ऐसा कोई न्यायिक निकाय नहीं है जिसके द्वारा संसद के किसी अधिनियम की वैधता पर सवाल उठाया जा सके। विधायिका का एक अधिनियम किसी भी न्यायालय की तुलना में अधिकार में श्रेष्ठ है।

और चेनी बनाम में थॉमस जे.। कॉन, (1968) 1 ऑल ई. आर. 779 ने एक संसदीय क़ानून को "कानून का सर्वोच्च रूप. जो कानून के हर अन्य रूप पर हावी है" के रूप में संदर्भित किया। लिखित संविधान के तहत स्थिति काफी अलग है।

जैसे कि वह जो हमें नियंत्रित करता है। भारत का संविधान, जो देश के सर्वोच्च कानून का प्रतिनिधित्व करता है, परिकल्पना करता है

राज्य के तीन अलग-अलग अंग, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट कार्य हैं, प्रत्येक राज्य का एक स्तंभ है।

मोटे तौर पर, जबकि भारत की संसद और राज्य विधानमंडल कानून बनाते हैं और कार्यकारी सरकार इसे लागू करती है, न्यायपालिका न केवल कार्यपालिका द्वारा कानून के कार्यान्वयन पर निर्णय लेती है, बल्कि लागू किए जाने वाले विधान की वैधता पर भी निर्णय लेती है। भारत में उच्च न्यायपालिका के कार्यों में से एक [2018] 4 एस. सी. आर. की जांच करना है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून की क्षमता और वैधता, दोनों के संदर्भ में

विधायी क्षमता के साथ-साथ मौलिक अधिकारों के साथ इसकी निरंतरता। इस संबंध में, भारत में न्यायालयों के पास एक ऐसी शक्ति है जो अंग्रेजी न्यायालयों को ज्ञात नहीं है। कहाँ ए।

उचित रूप से संशोधित संवैधानिक संशोधन कानून का संस्करण अधिनियमित किया गया है जो इसके साथ मेल खाता है

संवैधानिक पर्चा।

भारत की उच्च न्यायपालिका में मान्यता प्राप्त न्यायिक, समीक्षा की सीमा शायद सबसे व्यापक और सबसे व्यापक है।

कानून की दुनिया में जाना जाता है।

शक्ति एक की वैधता की जांच करने तक फैली हुई है संविधान में संशोधन, अभी के लिए यह बार-बार किया गया है

अभिनिर्धारित किया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन कायम नहीं रखा जा सकता है

जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। देखें।

केशवानंद भारती श्रीपदगलयारू बनाम। केरल राज्य

ए. आई. आर. 1973 एससी1461), श्रीमती. इंदिरा नेहरू। गांधी बनाम. राज नारायण [1976] 2 एससीआर 347], मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम। भारत संघ [1981] 1 एससीआर 206] और हाल ही में एस. पी. संपत कुमार बनाम। भारत संघ [(1987) आई. एल. एल. जे. 128. एस. सी]। न्यायिक शक्ति के इस प्रभावशाली विस्तार के साथ, यह केवल सही है कि वरिष्ठ

भारत में न्यायालयों को विशालता के प्रति सचेत रहना चाहिए।

जिम्मेदारी जो उन पर निर्भर करती है। यह उच्चतम न्यायालय के बारे में विशेष रूप से सच है, क्योंकि संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में उसके द्वारा घोषित कानून, संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा, "भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों" पर बाध्यकारी है।

34. राजेश कुमार के एक फैसले में कानून का सार दिया गया है।

राज्य 30 इस प्रकार हैः

" 62. जब तक मेनका गांधी (ऊपर) में निर्णय नहीं दिया गया था, तब तक इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 को कानून के शासन की डाइसियन अवधारणा को शायद ही कभी मूर्त रूप देने के रूप में देखा गया था कि किसी को भी कानून द्वारा असमर्थित कार्यकारी कार्रवाई द्वारा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि कोई कानून था जो किसी प्रकार की प्रक्रिया प्रदान करता था तो यह किसी व्यक्ति को

उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त था। इस संबंध में, यदि हम न्यायमूर्ति एस. आर. दास द्वारा ए. के. मामले में अपने फैसले में दिए गए उदाहरण का उल्लेख करते हैं।

) 13 एससीसी 706 डी. आर.

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

गोपालन (ऊपर) कि यदि कानून ने बिशप का प्रावधान किया है

रोचेस्टर 'को तेल में उबला जाए' यह अनुच्छेद 21 के तहत मान्य होगा। लेकिन मेनका गांधी (उपरोक्त) में निर्णय के बाद, जो हमारे देश में संवैधानिक कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रतीक है, इस न्यायालय ने पहली बार यह विचार रखा कि अनुच्छेद 21 न केवल संविधान के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। कार्यकारी कार्रवाई लेकिन कानून के खिलाफ भी जो

किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करता है जब तक कि

अभाव के लिए कानून उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष है। और यह माना गया कि तर्कसंगतता की अवधारणा संविधान के पूरे ताने-बाने में एक सुनहरे धागे की तरह चलती है और यह है

कानून के लिए कुछ झलक प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है

प्रक्रिया। किसी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने की प्रक्रिया विशिष्ट रूप से न्यायसंगत, उचित और निष्पक्ष होनी चाहिए और यदि न्यायालय के समक्ष चुनौती दी जाती है तो यह निर्धारित करना न्यायालय का काम है कि क्या ऐसी प्रक्रिया उचित, न्यायसंगत और निष्पक्ष है और यदि न्यायालय को लगता है कि ऐसा नहीं है, तो न्यायालय ऐसा करेगा।

उसी पर प्रहार करें। "

35. उपरोक्त के अलावा, ऐसे कई अवसर हैं जब इस न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं

उदाहरण के लिए, जाति जांच समिति के कार्यकरण के संबंध में निर्देश 3 1;

विधि अधिकारियों की नियुक्ति को विनियमित करने के निर्देश 3 2; वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित करने में इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों को विनियमित करने के निर्देश 33; कारावास में अपनी माँ के साथ जाने वाले बच्चे के कल्याण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं 3 4; महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए निर्देश 3 5; बेघरों के लिए रात्रि आश्रय 3 6; बच्चों में कुपोषण की जांच करने के निर्देश 3 7; सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों द्वारा चिकित्सा सहायता प्रदान करने के निर्देश 38; कैदियों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए निर्देश 39; 40 के तहत त्वरित सुनवाई के लिए निर्देश। सूची जारी है।

32 पंजाब राज्य बनाम बृजेश्वर सिंह चहल (2016) 1 एस. सी. सी. 33 इंदिरा जयसिंह बनाम भारत का सर्वोच्च न्यायालय (2017) 9 एस. सी. सी. 766 34 आर. डी. उपाध्याय बनाम ए. पी. राज्य (2007) 15 एस. सी. सी. 337 35 बचपन बचाओ आंदोलन बनाम। यूओआई (2011) 5 एससीसी 1 36 यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूओआई (2010) 5 एससीसी 318 37 पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूओआई (2004) 12 एससीसी 104 और (2010) 15

एससीसी 57

38 पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति बनाम राज्य डब्ल्यू. बी. (1996) 4 एस. सी. सी. 37 39 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। (1978) 4 एससीसी 494

40 हुसैनारा खातून (IV) बनाम गृह सचिव। बिहार राज्य (1980) 1 एससीसी 98 [2018] 4 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. गिरफ्तारी की शक्ति को विनियमित करने के लिए निर्देश जारी करना भी इस न्यायालय के निर्णयों का विषय रहा है। जोगिंदर में

कुमार बनाम राज्य U.P.4[1], इस न्यायालय ने कहा कि मानवाधिकारों का दायरा बढ़ रहा है। अंधाधुंध गिरफ्तारी के कारण मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें हैं। गिरफ्तारी का कानून व्यक्तिगत अधिकारों, स्वतंत्रताओं और विशेषाधिकारों, कर्तव्यों, दायित्वों और जिम्मेदारियों को संतुलित करने का है। एक तरफ अपराध को रोकने की सामाजिक आवश्यकता है, तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता, उत्पीड़न और उत्पीड़न की सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता है। पुलिस और अन्य कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग। इस न्यायालय ने इस आशय की राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट को नोट किया

गिरफ्तारी की वह शक्ति पुलिस के भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों में से एक थी। 60 % गिरफ्तारी अनावश्यक या अनुचित थी। गिरफ्तारी को केवल गंभीर अपराधों में ही उचित ठहराया जा सकता है ताकि पीड़ित का विश्वास बढ़े, ताकि आरोपी को आगे अपराध करने से रोका जा सके और उसे फरार होने से रोका जा सके। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सिफारिश की कि गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को कारण दर्ज करना चाहिए। इस न्यायालय ने कहा कि कोई गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना वैध है। शक्ति का प्रयोग एक वैध उद्देश्य के लिए होना चाहिए। जघन्य अपराधों को छोड़कर गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए। इस आवश्यकता को अनुच्छेद 214 2 में पढ़ा गया था। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य 3 में, इस न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता पर अंकुश लगाती है और हमेशा के लिए निशान डालती है। इसे उत्पीड़न और उत्पीड़न का एक उपकरण माना जाता है। कठोर शक्ति

सावधानी के साथ अभ्यास किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति भ्रष्टाचार का एक आकर्षक स्रोत है। धारा 41 Cr.P.C में कानून के संशोधन का उल्लेख करते हुए,

विधि आयोगों की सिफारिशों के आलोक में, यह निर्देश दिया गया था कि गिरफ्तारी केवल तभी उचित हो सकती है जब 'विश्वसनीय जानकारी' या 'उचित संदेह' हो और यदि गिरफ्तारी आगे रोकने के लिए आवश्यक हो

अपराध के लिए या उचित जाँच के लिए या साक्ष्य में हस्तक्षेप की जाँच करने के लिए। कारणों को दर्ज करना आवश्यक है। हालांकि, जमीनी स्तर पर अनुपालन स्पष्ट कारणों से संतोषजनक नहीं है। मजिस्ट्रेटों द्वारा जांच भी पर्याप्त नहीं है। इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

" 11. इस निर्णय में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि

पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपी को गिरफ्तार नहीं करते हैं।

और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यांत्रिक रूप से निरोध को अधिकृत नहीं करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने क्या देखा है

ऊपर, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

41 (1994) 4 एससीसी 260 42 पैरा 21

43 (2014) 8 एस. सी. सी. 273 आर. सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। राज्य AHARASTR AND ANDR। [आदर्श कुमार गोएल,

11.1 . सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि वे आई. पी. सी. की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वतः गिरफ्तारी न करें, बल्कि धारा 41 सी. आर. पी. सी. से ऊपर निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें।

11.2 . सभी पुलिस अधिकारियों को एक जाँच सूची प्रदान की जाए जिसमें धारा के तहत निर्दिष्ट उपखंड हों।

41 (1) ((ख) (ख)

11.3 . पुलिस अधिकारी विधिवत भरी गई जाँच सूची को अग्रेषित करेगा और कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जो

अग्रेषित/प्रस्तुत करते समय गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई

आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त;

11.4 . मजिस्ट्रेट अभियुक्त के निरोध को प्राधिकृत करते समय पुलिस अधिकारी द्वारा दी गई रिपोर्ट को उपरोक्त संदर्भों में देखेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट निरोध को प्राधिकृत करेगा।

11.5 . अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय,

मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को एक प्रति के साथ भेजा जाता है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक;

11.6 . धारा 41-ए सी. आर. पी. सी. के संदर्भ में आरोपी को मामले की स्थापना की तारीख से दो सप्ताह के भीतर पेश होने की सूचना दी जाए, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले के लिए बढ़ाया जा सकता है।

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण;

11.7 . उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, वे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए भी दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

11.8 . संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारणों को दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करना उपयुक्त उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. डी. के. बसु बनाम राज्य डब्ल्यू. बी. 4 में, इस न्यायालय ने गिरफ्तारी और कठोर पुलिस शक्ति की जांच करने के लिए निम्नानुसार निर्देश दियाः

" 35. इसलिए हम इसे जारी करना उचित समझते हैं

गिरफ्तारी के सभी मामलों में निम्नलिखित आवश्यकताओं का पालन किया जाना चाहिए

या उस ओर से कानूनी प्रावधान किए जाने तक निरोध के रूप में

बचाव के उपायः

(1) गिरफ्तारी करने वाले पुलिस कर्मी और

गिरफ्तार व्यक्ति की पूछताछ को संभालना वहन करना चाहिए सटीक, दृश्यमान और स्पष्ट पहचान और नाम टैग

उनके पदनाम। ऐसी सभी पुलिस का विवरण

गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ करने वाले कर्मचारी होने चाहिए

एक रजिस्टर में दर्ज।

(2) कि गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा।

और ऐसे ज्ञापन को कम से कम एक गवाह द्वारा सत्यापित किया जाएगा,

जो या तो गिरफ्तार व्यक्ति के 436 परिवार का सदस्य हो सकता है या उस इलाके का एक सम्मानित व्यक्ति हो सकता है जहाँ से गिरफ्तारी की जाती है। इसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा भी प्रति-हस्ताक्षरित किया जाएगा और

गिरफ्तारी का समय और तिथि होगी।

(3) एक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है और

पुलिस थाने में हिरासत में रखा जाना या पूछताछ

केंद्र या अन्य लॉक-अप, एक दोस्त रखने का हकदार होगा।

या रिश्तेदार या उसे जानने वाला या रुचि रखने वाला अन्य व्यक्ति

उसके कल्याण में, जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जा रहा है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और विशेष स्थान पर हिरासत में लिया जा रहा है।

जगह, जब तक कि गिरफ्तारी के ज्ञापन का सत्यापन करने वाला गवाह नहीं है

स्वयं गिरफ्तार व्यक्ति का ऐसा मित्र या रिश्तेदार।

(4) गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत के स्थान को पुलिस द्वारा सूचित किया जाना चाहिए जहां अगला दोस्त है।

या गिरफ्तार व्यक्ति का रिश्तेदार जिले या शहर से बाहर रहता है। जिले में कानूनी सहायता संगठन के माध्यम से और

संबंधित क्षेत्र का पुलिस स्टेशन तार द्वारा

गिरफ्तारी के बाद 8 से 12 घंटे की अवधि। (5) गिरफ्तार व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए कि किसी को उसकी गिरफ्तारी या हिरासत के बारे में जल्द से जल्द सूचित किया जाए।

जैसे कि उसे गिरफ्तार किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है।

) 1 एस. सी. सी. 416 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(6) व्यक्ति की गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत के स्थान पर डायरी में एक प्रविष्टि की जानी चाहिए जो

गिरफ्तारी के बारे में सूचित किए गए व्यक्ति के अगले मित्र का नाम और उन पुलिस अधिकारियों के नाम और विवरण का खुलासा करें जिनकी हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति है।

(7) गिरफ्तार व्यक्ति से, जहाँ वह अनुरोध करता है, उसकी गिरफ्तारी के समय भी पूछताछ की जानी चाहिए और वह नाबालिग और नाबालिग है।

चोट, यदि उसके शरीर पर कोई मौजूद है, तो दर्ज की जानी चाहिए

(8) संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक द्वारा नियुक्त अनुमोदित डॉक्टरों के पैनल में एक डॉक्टर द्वारा हिरासत में हिरासत के दौरान हर 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा जांच की जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवा निदेशक को सभी तहसीलों और जिलों के लिए इस तरह का पैनल तैयार करना चाहिए ठीक है।

(9) ऊपर उल्लिखित गिरफ्तारी ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रतियां इलाखा को भेजी जानी चाहिए।

मजिस्ट्रेट अपने रिकॉर्ड के लिए।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के स्थान के बारे में सूचित किया जाएगा, गिरफ्तारी के 12 घंटे के भीतर और पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसे एक विशिष्ट नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। 36. ऊपर उल्लिखित आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता संबंधित अधिकारी को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, उसे भी उत्तरदायी बना देगी

न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है और न्यायालय की अवमानना के लिए कार्यवाही देश के किसी भी उच्च न्यायालय में शुरू की जा सकती है, जिसके पास मामले पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है।

18] 4 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

37. ऊपर उल्लिखित आवश्यकताएं संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 (1) से निकलती हैं और उनका सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। ये अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए भी समान बल के साथ लागू होंगे, जिनके लिए एक संदर्भ दिया गया है।

पहले किया गया "।

38. रिनी जौहर (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने गलत गिरफ्तारी और मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर विचार किया। यह देखा गया कि गलत तरीके से गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है और इस प्रकार गिरफ्तारी की शिकार व्यक्ति मुआवजे का हकदार है। इस अदालत ने जोगिंदर कुमार में गलत गिरफ्तारी के खिलाफ निर्धारित टिप्पणियों और दिशानिर्देशों को नोट किया ( ), डी. के. बसु (उपरोक्त), अर्नेश कुमार (उपर्युक्त) और अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि गिरफ्तारी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का उल्लंघन है और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, इसलिए गिरफ्तार किया गया व्यक्ति मुआवजे का हकदार था।

39. सुब्रमण्यम स्वामी बनाम यू. ओ. आई. में, यह न्यायालय

मानहानि पैदा करने वाले प्रावधानों की वैधता के मुद्दे को अपराध माना। उक्त निर्णय के दौरान, प्रतिस्पर्धा में सामंजस्य की आवश्यकता है

विभिन्न हितों के दावों पर विचार किया गया। इस न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार एक एकीकृत योजना के सभी भाग हैं और निष्पक्ष न्याय के भव्य प्रवाह का गठन करने के लिए उनके जल का मिश्रण होना चाहिए। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून को अधिकारों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए और इसमें मनमानेपन की कमी नहीं होनी चाहिए। तर्कसंगतता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि अधिकारों के अंतिम प्रभाव को निर्धारित किया जाना चाहिए। यह कानून के दुरुपयोग या दुरुपयोग से अलग था। आनुपातिकता संवैधानिकता का निर्धारण करते समय संयम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जनहित और सामाजिक हित की अवधारणा समाज की जरूरतों को निर्धारित करती है। मेनका गांधी (उपरोक्त) का उल्लेख करने के बाद, यह देखा गया कि इस न्यायालय का कर्तव्य है कि वह बोलने के अधिकार और प्रतिष्ठा की रक्षा के अधिकार में संतुलन बनाए। कानून का प्रतिबंध तर्कसंगत होना चाहिए।

और उस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है जिसके लिए यह आवश्यक है। यह मनमाना या अत्यधिक नहीं होना चाहिए।

40. पुनः इस न्यायालय ने सिद्धराम सतलिंगप्पा मेत्रे बनाम राष्ट्र राज्य में विवेकाधिकार के प्रयोग के लिए मानदंड निर्धारित किए।

45 (2016) 7 एससीसी 221 46 पैरा 137

47 पैरा 130

48 पैरा 144 49 पैरा 194 और 195

50 (2011) 1 एस. सी. सी. 694 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

संविधान की धारा 21 के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, जहां -

ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यह देखा गयाः

" व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रासंगिकता और महत्व

36. सभी मनुष्य जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज जैसे कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ पैदा होते हैं। इन प्राकृतिक अधिकारों का महत्व इस तथ्य में पाया जा सकता है कि ये उनके उचित अस्तित्व के लिए मौलिक हैं और जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की उपस्थिति के बिना किसी अन्य अधिकार का आनंद नहीं लिया जा सकता है। स्वतंत्रता से रहित जीवन सम्मान के बिना होगा और

गरिमा और यह सभी महत्व और अर्थ खो देगा और जीवन स्वयं जीने लायक नहीं होगा। यही कारण है कि "स्वतंत्रता" को एक सभ्य अस्तित्व का सार कहा जाता है।

52. मौलिक अधिकार मूल मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस देश के लोगों द्वारा समृद्ध। जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार जैसे व्यक्ति के प्राथमिक अधिकार के पीछे का उद्देश्य संविधान निर्माताओं द्वारा वांछित रूप से पूरा नहीं होता है। यह राज्य द्वारा हस्तक्षेप के खिलाफ कुछ बुनियादी मानवाधिकारों को संरक्षित और संरक्षित करने के लिए है। संविधान में एक अध्याय को शामिल करना आधुनिक लोकतांत्रिक विचार के रुझानों के अनुसार है। इसका उद्देश्य राजनीति के खिलाफ कुछ आवश्यक अधिकारों की अलंघनीयता सुनिश्चित करना है। उतार-चढ़ाव।

54. जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। स्वतंत्रता के लिए आंतरिक आग्रह प्रत्येक मनुष्य की एक स्वाभाविक घटना है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का सम्मान केवल राज्य का एक मानदंड या नीति नहीं है।

लेकिन किसी भी सभ्य समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता।

64. अनुच्छेद 21 का उद्देश्य अतिक्रमण को रोकना है।

किसी भी तरह से व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति या नागरिक के लिए आवश्यक सभी मानवाधिकारों का भंडार है। एक फलदायी

और सार्थक जीवन में गरिमा, सम्मान, स्वास्थ्य और कल्याण से भरा जीवन शामिल है। आधुनिक "कल्याण दर्शन" में, यह

राज्य अपने सभी लोगों के लिए जीवन की इन आवश्यक वस्तुओं को सुनिश्चित करे

नागरिक, और यदि संभव हो तो गैर-नागरिकों के लिए। अनुच्छेद 21 के प्रावधानों का आह्वान करते हुए, और जोसेफ एडिसन के अक्सर उद्धृत बयान का उल्लेख करते हुए, "दस हजार [2018] 4 एस. सी. आर. मर जाना बेहतर है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मेरे सम्मान को चोट पहुँचाने की तुलना में मृत्यु ", खेड़त मजदूर चेतना संगठन बनाम में सर्वोच्च न्यायालय। एम. पी. राज्य (1994) 6 एस. सी. सी. 260 ने अपने सामने एक सवाल उठाया कि "क्या गरिमा या सम्मान समाप्त हो जाता है?

जीवन में क्या बचा है? यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का महत्व है जिसकी गारंटी दी गई है

अपने तीसरे भाग में भारत का संविधान।

अंतर्राष्ट्रीय चार्टर

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 80. सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 3 में कहा गया हैः

" 3. हर किसी को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है।

व्यक्ति से।

अनुच्छेद 9 में कहा गया हैः

" 9. किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

नजरबंदी या निर्वासन "।

अनुच्छेद 10 कहता हैः

" 10. प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण समानता और निष्पक्षता का अधिकार है।

स्वतंत्र और निष्पक्ष द्वारा सार्वजनिक सुनवाई

न्यायाधिकरण, अपने अधिकारों के निर्धारण में और

दायित्वों और उसके खिलाफ किसी भी आपराधिक आरोप का। [इसके कानूनी प्रभाव के बारे में, एम. वी. देखें। संयुक्त राष्ट्र और बेल्जियम (1972) 45 इंटर एलआर 446 (पीपी पर इंटर एलआर। 447, 451.)]

86. राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जब गिरफ्तारी की शक्ति का घोर दुरुपयोग किया जाता है और लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया जाता है,

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित, तब अदालतों को इसका गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जब दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत से कम है, तो पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में धीमी गति से काम लेना चाहिए। जमानत पर विचार कर रही अदालतें

आवेदन के बीच ठीक संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए

आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत का पालन करते हुए सामाजिक हित बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि वह सक्षम अदालत द्वारा दोषी नहीं पाया जाता है।

87. अभियुक्त के खिलाफ दायर शिकायत की इस पहलू सहित पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए कि क्या सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

88. आरोप की गंभीरता और अभियुक्त की सटीक भूमिका को ठीक से समझा जाना चाहिए। गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी अधिकारी को उन वैध कारणों को दर्ज करना चाहिए जिनके कारण मामले की डायरी में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। असाधारण मामलों में गिरफ्तारी के तुरंत बाद कारणों को दर्ज किया जा सकता है, ताकि जमानत आवेदन पर विचार करते समय, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की टिप्पणियों और टिप्पणियों का भी अदालत द्वारा उचित मूल्यांकन किया जा सके। 89. अदालतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सावधानीपूर्वक और सावधानीपूर्वक मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करें। उपलब्ध सामग्री और विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में जहां अदालत का विचार है कि आरोपी जांच में शामिल हो गया है और वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है।

जाँच एजेंसी और उसके फरार होने की संभावना नहीं है, उस स्थिति में, हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए।

90. गिरफ्तारी के साथ एक बड़ी बदनामी, अपमान और अपमान जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी न केवल अभियुक्त के लिए बल्कि पूरे परिवार और कभी-कभी पूरे समुदाय के लिए कई गंभीर परिणामों की ओर ले जाती है। अधिकांश लोग पूर्व-दोषसिद्धि चरण या पद पर गिरफ्तारी के बीच कोई अंतर नहीं करते हैं।

दोषसिद्धि चरण।

110. जुलाई 2002 में विधि आयोग ने गिरफ्तारी की शक्ति के मनमाने उपयोग के लिए हमारे देश की पुलिस की कड़ी आलोचना की है, आयोग ने कहा कि यह इस संहिता द्वारा उन्हें प्रदान की गई विशाल विवेकाधीन शक्तियों का परिणाम है। द.

आयोग ने चिंता व्यक्त की कि दुरुपयोग को रोकने के लिए पुलिस विभाग के भीतर कोई आंतरिक तंत्र नहीं है इस तरह से कानून और कठोर वास्तविकता की शिकायत [2018] 4 एस. सी. आर.

इस संबंध में दर्ज किए जाने का कोई परिणाम नहीं निकलता है। द.

आयोग आपराधिक मामलों में संशोधन का सुझाव देना चाहता है।

क्वार्टर। इस लेख में 41 वीं रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। विधि आयोग का जिसमें आयोग ने "नहीं" देखा

किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में प्रस्तुत करने, कुछ दिनों के लिए जेल में रहने और फिर जमानत के लिए आवेदन करने का औचित्य, तब भी जब उस व्यक्ति को अभिनिर्धारित करने के लिए उचित आधार हों।

अपराध के आरोपी के फरार होने या अन्यथा फरार होने की संभावना नहीं है।

अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करें। अग्रिम जमानत का आदेश देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग इन बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाना आवश्यक है। सिबिया मामला (1980) 2 एस. सी. सी. 565 और जोगिंदर कुमार बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों की भावनाएँ और भावनाएँ। की स्थिति

उत्तर प्रदेश (1994) 4 एस. सी. सी. 260। 112. निम्नलिखित कारकों और मापदंडों में लिया जा सकता है

अग्रिम जमानत से निपटने के दौरान विचारः

((i) आरोप की प्रकृति और गंभीरता और

अभियुक्त की सटीक भूमिका ठीक से होनी चाहिए

गिरफ्तारी से पहले पकड़ा जाता है;

((ii) आवेदक का पूर्ववृत्त, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि क्या अभियुक्त ने पहले भी ऐसा अनुभव किया है।

किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने पर कारावास;

(iii) आवेदक के भागने की संभावना

न्याय;

((iv) अभियुक्त की संभावना की संभावना

समान या अन्य अपराधों को दोहराना; (v) जहां आरोप केवल आवेदक को घायल करने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

उसे गिरफ्तार करके;

(vi) अग्रिम जमानत देने का प्रभाव, विशेष रूप से बड़े पैमाने के मामलों में, जो बहुत अधिक राशि को प्रभावित करते हैं।

बड़ी संख्या में लोग;

(vii) अदालतों को अभियुक्त के खिलाफ पूरी उपलब्ध सामग्री का बहुत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। अदालत ने

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम की सटीक भूमिका को भी स्पष्ट रूप से समझना चाहिए।

हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

मामले में आरोपी। जिन मामलों में अभियुक्त को दंड संहिता, 1860 की धारा 34 और 149 की मदद से फंसाया गया है, अदालत को और भी अधिक सावधानी और सावधानी के साथ विचार करना चाहिए क्योंकि मामलों में अति-प्रभाव सामान्य ज्ञान और चिंता का विषय है।

(viii) अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना पर विचार करते समय, दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा।

दो कारक, अर्थात्, कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए

स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्ण जांच और उत्पीड़न, अपमान और अन्यायपूर्ण की रोकथाम होनी चाहिए

अभियुक्त को हिरासत में लेना;

(ix) न्यायालय उचित मानेगा।

गवाह के साथ छेड़छाड़ की आशंका या

शिकायतकर्ता को धमकी की आशंका;
(x) अभियोजन में तुच्छता पर हमेशा विचार किया जाना चाहिए और यह केवल वास्तविकता का तत्व है।

जिसे अनुदान के मामले में विचार करना होगा।

जमानत की और अभियोजन की वास्तविकता के बारे में कुछ संदेह होने की स्थिति में, घटनाओं के सामान्य क्रम में, अभियुक्त जमानत के आदेश का हकदार है।

113. गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होना चाहिए और यह होना चाहिए उन असाधारण मामलों तक सीमित जहाँ गिरफ्तार किया जाता है

सीधे तौर पर अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये आरोप हैं अभिलेख पर अन्य सामग्री और परिस्थितियों द्वारा पुष्टि की गई।

114. ये कुछ कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

अग्रिम जमानत पर निर्णय लेते समय विचार करना अनुप्रयोग। ये कारक किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं हैं, लेकिन वे केवल उदाहरणात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि इन्हें समझना मुश्किल है।

स्पष्ट रूप से उन सभी स्थितियों और परिस्थितियों की कल्पना करें जिनमें

व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर एक बुद्धिमान विवेक है

संबंधित न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया गया, विचार के बाद

अभिलेख पर संपूर्ण सामग्री के बाद जमानत देने या अस्वीकार करने के पक्ष में अधिकांश शिकायतों का ध्यान रखा जाएगा।

विधायिका ने अपने विवेक से [2018] 4 एस. सी. आर. को शक्ति सौंपी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस अधिकारिता का प्रयोग केवल उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए किया जाता है। विधायी इरादे के अनुरूप हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि विवेकाधिकार का उचित उपयोग किया जाएगा। किसी भी मामले में, संपर्क करने का विकल्प

सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के खिलाफ उच्च न्यायालय हमेशा उपलब्ध रहता है।

तर्कहीन और अंधाधुंध गिरफ्तारी मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। 115. जोगिंदर कुमार मामले (ऊपर) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि भारत में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गुणवत्ता ने पुलिस में भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोतों में से एक के रूप में गिरफ्तारी की शक्ति का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि कुल मिलाकर, लगभग 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां या तो अनावश्यक या अनुचित थीं और इस तरह की अनुचित पुलिस कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थी

जेलों का खर्च। 116. व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक बहुत ही मूल्यवान मौलिक अधिकार है और इसमें तभी कटौती की जानी चाहिए जब यह देश के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार अनिवार्य हो जाए।

मामला।

117. यदि राज्य निम्नलिखित सुझावों पर विचार करता है

उचित परिप्रेक्ष्य में तो शायद नियमित रूप से अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कटौती करना आवश्यक नहीं हो सकता है। ये सुझाव केवल उदाहरणात्मक हैं और नहीं संपूर्णः

(1) अभियुक्त को जाँच में शामिल होने का निर्देश दें और

केवल तभी जब अभियुक्त जाँच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं करता है, तभी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है।

(2) या तो पासपोर्ट या ऐसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को जब्त करें, जैसे कि संपत्तियों के स्वामित्व विलेख या अभियुक्त की सावधि जमा रसीदें/शेयर प्रमाण पत्र।

(3) अभियुक्त को बांड निष्पादित करने का निर्देश दें। (4) अभियुक्त को प्रतिभूति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जा सकता है

कई व्यक्तियों के अनुसार

विशेष मामले के तथ्यों को देखते हुए अभियोजन आवश्यक है।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। राज्य

HARASTRA AND ANDR। [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(5) अभियुक्त को शपथ पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए

कि वह उस स्थान का दौरा नहीं करेगा जहाँ गवाह रहते हैं ताकि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या अन्यथा न्याय के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना से बचा जा सके। (6) जाँच के दौरान बैंक खातों को छोटी अवधि के लिए फ्रीज कर दिया जाता है।

118. यदि गिरफ्तारी अनिवार्य है, तो मामले के तथ्यों के अनुसार, उस घटना में, गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी के कारणों को स्पष्ट रूप से दर्ज करना चाहिए।

केस डायरी में गिरफ्तारी, लेकिन असाधारण मामलों में जहां यह

अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार करना अनिवार्य हो जाता है,

घटना के तुरंत बाद केस डायरी में कारण दर्ज किए जाएं।

गिरफ्तारी बिना कोई समय गंवाए की जाती है ताकि अदालत को गिरफ्तारी अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कारणों के आलोक में जमानत देने या अस्वीकार करने के मामले पर उचित रूप से विचार करने का अवसर मिले।

119. सी. आर. पी. सी. की धारा 438 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक

एक न्यायाधीश का अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक कार्य और

कुछ अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों को सौंपा जाए और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड। व्यक्ति और समाज दोनों के लिए महत्वपूर्ण है

अग्रिम जमानत में अदालतों द्वारा पारित आदेशों में ब्याज अनुप्रयोग।

120. यह उच्च न्यायालयों के लिए अपने न्यायिक माध्यम से अनिवार्य है।

अकादमियां समय-समय पर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का आयोजन करेंगी,

न्यायपालिका को संवेदनशील बनाने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सेमिनार और व्याख्यान

अधिकारी, पुलिस अधिकारी और जाँच अधिकारी ताकि

वे व्यक्तिगत महत्व को ठीक से समझ सकते हैं

सामाजिक हितों की स्वतंत्रता। उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक हितों के बीच अच्छा संतुलन बनाए रखना सीखना चाहिए।

41. इस प्रकार, इस आपत्ति को स्वीकार करने में बहुत देर हो चुकी है कि

ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जिसे माना जाए कि

भले ही संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 को मौलिक अधिकारों को लागू करना आवश्यक हो।अत्याचारों के काम करने के संभावित प्रभाव पर विचार

जातिवाद फैलाना

42. प्रस्तुतियों के आलोक में, व्यक्त करना आवश्यक है

एन कि अत्याचार अधिनियम के काम करने के परिणामस्वरूप [2018] 4 एस. सी. आर. को कायम नहीं रखा जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एस. एम. जो समाज के एकीकरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है

ई संवैधानिक मूल्य। इस तरह की चिंता भी व्यक्त की गई है

कई मौकों पर अदालत। धर्मनिरपेक्षता एक बुनियादी विशेषता हैआईट्यूशन। जाति या धर्म की परवाह किए बिना, संविधान गारंटी देता है

इसकी प्रस्तावना के साथ-साथ अनुच्छेद 14 सहित अन्य प्रावधानों में

एन. ई. संविधान एक सामंजस्यपूर्ण, एकीकृत और जातिविहीन समाज की परिकल्पना करता है।

43. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने 25 नवंबर को अपने प्रसिद्ध भाषण में,

संविधान सभा के विचार-विमर्श के समापन पर कहा गयाः

" स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये सिद्धांत नहीं हैं।

त्रिमूर्ति में अलग-अलग वस्तुओं के रूप में माना जाना। वे एक संघ बनाते हैं

त्रिमूर्ति का इस अर्थ में कि एक को दूसरे से तलाक देना

लोकतंत्र के उद्देश्य को पराजित करें। स्वतंत्रता नहीं हो सकती

समानता से अलग, समानता से अलग नहीं किया जा सकता

स्वतंत्रता। न ही स्वतंत्रता और समानता को अलग किया जा सकता है।

बंधुत्व। समानता के बिना, स्वतंत्रता उत्पन्न करेगी

व्यक्तिगत पहल को मार देगा। बंधुत्व के बिना, स्वतंत्रता और समानता एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं बन सकती थी। यह होगा।

उन्हें लागू करने के लिए एक सिपाही की आवश्यकता होती है।

.....

भारत में जातियाँ हैं। जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। में

सबसे पहले क्योंकि वे सामाजिक रूप से अलगाव लाते हैं

जीवन। वे राष्ट्र-विरोधी भी हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं

जाति और जाति के बीच ईर्ष्या और घृणा। लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए।

अगर हम एक राष्ट्र बनना चाहते हैं तो इन सभी कठिनाइयों को दूर करें।

वास्तव में। बंधुत्व के लिए एक तथ्य तभी हो सकता है जब एक

राष्ट्र। बंधुत्व के बिना, समानता और स्वतंत्रता नहीं होगी।

पेंट के कोट से भी गहरा।

44. इंद्र साहनी और ओआरएस बनाम भारत संघ और इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 339. धर्मनिरपेक्षता भारतीय समाज की मूल विशेषता है।

संविधान। इसमें एकजुट, एकीकृत और जातिविहीन होने की परिकल्पना की गई है।

समाज। संविधान ने जाति को पूरी तरह से मिटा दिया है

प्रणाली और कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया है। संदर्भ

अनुच्छेद 15 (2) और 16 (2) के तहत जाति केवल इसे मिटाने के लिए है।

उदाहरण के लिए (3) एस. सी. सी. 217 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

जाति के आधार पर निषेध पूर्ण है, जनादेश यह है कि इस देश में जाति फिर कभी अपना सिर नहीं उठाएगी। यहां तक कि जाति के आधार पर दुकानों तक पहुंच भी प्रतिबंधित है।

भारत की प्रगति जातिवाद से लेकर जातिवाद तक रही है।

समतावाद-सामंतवाद से स्वतंत्रता तक। 340. जाति व्यवस्था जिसे कब्र में डाल दिया गया है

संविधान के निर्माता अपना भद्दा सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं

विभिन्न रूपों में। जाति के लिए एक गंभीर खतरा है

धर्मनिरपेक्षता और इसकी अखंडता के परिणामस्वरूप

देश। जो लोग इतिहास की घटनाओं से नहीं सीखते हैं, वे फिर से पीड़ित होंगे। इसलिए, भारत के लोगों के लिए पत्र में पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है और

संविधान की भावना जिसने इस देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में ढाला है और अपने सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया है।

आर्थिक और राजनीतिक, स्थिति की समानता और

अवसर "।

45. संविधान के एनजी की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट संविधान के कामकाज की विफलताओं में से एक हैट्यूशन ने नोट किया कि चुनाव जाति के आधार पर लड़े जाते रहे उक्त टिप्पणियों को पीपुल्स यूनियन फॉर लिबर्टीज (पी. यू. सी. एल.) और ए. एन. आर. में उद्धृत किया गया है। आदि बनाम भारत संघ और निम्नानुसारः

" 20. यह कहा जाना चाहिए कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा मार्च 2002 में प्रस्तुत रिपोर्ट में इसी तरह के विचार व्यक्त किए गए हैं।

के कामकाज की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार संविधान। प्रासंगिक सिफारिशें इस प्रकार हैंः

" सफलताएँ और असफलताएँ

4.4 . पिछली आधी सदी के दौरान, लोकसभा के लिए तेरह आम चुनाव हुए हैं और विभिन्न राज्य विधानसभाओं के लिए बहुत बड़ी संख्या में चुनाव हुए हैं। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि ये सफल रहे हैं और आम तौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष होने के लिए स्वीकार किए गए हैं। लेकिन, अनुभव ने कई विकृतियों को भी सामने लाया है,

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट कुछ बहुत गंभीर हैं, जो कई हलकों में गहरी चिंता पैदा करते हैं। धन शक्ति, बाहु शक्ति और माफिया शक्ति की अस्वास्थ्यकर भूमिका और अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता और भ्रष्टाचार के बारे में लगातार संदर्भ हैं।

जातिवाद "।

46. उपरोक्त निर्णय के पैरा 48 में इस पहलू पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी का भाषण भी इस प्रकार हैः

" श्री दीवान ने अपने तर्कों के दौरान कुछ मुद्दे उठाए थे

'राजनीति का अपराधीकरण' विषय पर प्रस्तुतियाँ

और चुनावी प्रक्रिया में अपराधियों की भागीदारी

उम्मीदवारों और उस संबंध में, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग के दिनांकित 28-8-1997 के आदेश को हमारे ध्यान में लाया था। ..... — ' द पायनियर में प्रकाशित 'व्हेदर एकाउंटेबिलिटी' में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को वर्तमान से शुद्ध करने के लिए व्यवस्थित परिवर्तनों के सभी संभावित विकल्पों पर राष्ट्रीय बहस का आह्वान किया था

गड़बड़। उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया है कि न तो संसद और न ही राज्य विधानसभाएँ किसी भी स्तर की क्षमता या प्रतिबद्धता के साथ वही कर रही हैं जो वे मुख्य रूप से करना चाहते हैंः विधायी कार्य। उनके अनुसार, प्रतिबंध

अपवाद, जो इन लोकतांत्रिक के लिए चुने जाते हैं

संस्थान न तो औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से कानून बनाने में प्रशिक्षित होते हैं और न ही वे अपने पेशे में आवश्यक ज्ञान और क्षमता विकसित करने के लिए इच्छुक प्रतीत होते हैं। उन्होंने आगे संकेत दिया है कि उन व्यक्तियों

आज की चुनावी प्रणाली में सफल होना मुश्किल होता जा रहा है और चुनावी प्रणाली को धन शक्ति, बाहुबल और वोट बैंक के विचारों से लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है जातियों और समुदायों से। श्री वाजपेयी ने यह भी संकेत दिया था कि शासी ढांचे में भ्रष्टाचार ने चुनावी लोकतंत्र के मूल को ही नष्ट कर दिया है। के अनुसार

हालांकि, शासी ढांचे में भ्रष्टाचार की गुंजाइश की निश्चितता ने राजनीतिक दलों के बीच अवसरवाद और अनैतिकता को बढ़ा दिया है, जिसके कारण वे शादी और तलाक ले रहे हैं

एक-दूसरे की इच्छा पर, अवसरवादी गठबंधन और डी. आर. की तलाश करें।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। राज्य

महाराष्ट्र AND ANDR। [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

गठबंधन अक्सर लोकप्रिय जनादेश के बिना होते हैं। फिर भी वे पकड़ लेते हैं

और अंतर्निहित व्यवस्थित प्रवाह के कारण सत्ता में जीवित रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और राजनीतिकरण ने हमारी सिविल सेवा संरचना की अखंडता और प्रभावशीलता को भी नष्ट कर दिया है। घोषणापत्र, नीतियाँ, कार्यक्रम

राजनीतिक दलों ने वर्तमान प्रणाली में अपना अर्थ खो दिया है

जवाबदेही की कमी के कारण शासन "।

47. इस प्रकार हमारा विचार है कि अत्याचार अधिनियम की व्याख्या से बंधुत्व और एकता के संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा मिलना चाहिए।

समाज को। इसके लिए जाति के आधार पर निर्दोष नागरिकों के झूठे प्रभावों पर रोक लगाने की आवश्यकता हो सकती है।

अग्रिम जमानत जारी

48. उपरोक्त के आलोक में, हम पहले इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या अग्रिम जमानत देने के लिए कोई पूर्ण प्रतिबंध है, जिस मामले में -

इस न्यायालय के निर्णयों के आलोक में विचार विद्वान न्यायमित्र द्वारा निर्भर था। 49. अत्याचार अधिनियम की धारा 18, जिसमें अग्रिम जमानत देने पर रोक है, इस प्रकार हैः

" संहिता की धारा 438 अपराध करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी।

अधिनियम के तहत एक अपराध। - संहिता की धारा 438 में कुछ भी अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के तहत अपराध।

50. बलोथिया (ऊपर) में, धारा 18 को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं माना गया था। यह देखा गया कि बहिष्कार अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में धारा 438 Cr.P.C को प्रचलित सामाजिक स्थितियों के संदर्भ में देखा जाना था और

आशंका है कि इस तरह के अत्याचार के अपराधियों को धमकी मिलने की संभावना है

और पीड़ितों को डराना और इन अपराधियों के अभियोजन में उन्हें रोकना या बाधा डालना, यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है। उद्देश्यों और कारणों के कथन का उल्लेख करते हुए, यह देखा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य असुरक्षित हैं और उन्हें कई नागरिक अधिकारों से वंचित किया जाता है और उन्हें अपमान और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। वे अपने अधिकारों पर जोर देते हैं और वैधानिक संरक्षण की मांग करते हैं। निहित स्वार्थ उन्हें डराने और डराने की कोशिश करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अत्याचार की परेशान करने वाली प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। इस प्रकार, वे व्यक्ति जो [2018] 4 एस. सी. आर. हैं।

यदि अग्रिम जमानत दी जाती है तो इस तरह के अपराध करने का आरोप उनकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है। वे पीड़ितों को आतंकित कर सकते हैं और जाँच को रोक सकते हैं।

51. यद्यपि हम विद्वान न्यायमित्र के निवेदन में योग्यता पाते हैं कि राम कृष्ण बलौठिया (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय हो सकता है

विशेष रूप से इस न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

मेनका गांधी (ऊपर), हम इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने को अनावश्यक मानते हैं क्योंकि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में निर्णय को स्पष्ट किया जा सकता है। अग्रिम जमानत के बहिष्कार को केवल अपराध के अपराधियों के पीड़ितों की सुरक्षा के लिए उचित ठहराया गया है। इसे उन लोगों पर लागू होने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है जिन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है

अग्रिम जमानत या नियमित जमानत देने के मामले में एक दिलचस्प स्थिति सामने आती है। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1985 की धारा 17 (4) (संक्षेप में "टाडा"-जब से निरस्त किया गया है) में कहा गया है ". संहिता की धारा 438 में कुछ भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े किसी भी मामले के संबंध में लागू नहीं होगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध। टाडा अधिनियम की धारा 17 (5) ने एक अभियुक्त व्यक्ति पर और प्रतिबंध लगा दिया

टाडा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध को नियमित जमानत पर रिहा किया जाना और शर्तों में से एक थीः जहां लोक अभियोजक जमानत देने के आवेदन का विरोध करता है, वहां अदालत को संतुष्ट होना पड़ता है कि

यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं था और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा ऐसा कोई अपराध करने की संभावना नहीं थी। गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (संक्षेप में "यू. ए. पी. ए. अधिनियम") के प्रावधान, अर्थात् धारा 43 डी (4) और 43 डी (5) के तहत टाडा अधिनियम की उपरोक्त धारा 17 (4) और 17 (5) के समान हैं। इसी तरह महाराष्ट्र संगठित नियंत्रण के प्रावधान अपराध अधिनियम, 1999 (संक्षेप में "एम. सी. ओ. सी. अधिनियम"), अर्थात् धारा 21 (3) और 21 (4) भी संदर्भ में समान हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति डी. आर. की रिहाई का प्रभाव।

इन विशेष अधिनियमों के तहत संबंधित अपराधों को करने के आरोपी को न केवल अग्रिम जमानत के लिए मामले पर विचार के चरण में, बल्कि गिरफ्तारी के बाद भी नियमित जमानत देने के चरण में विधानमंडल द्वारा निपटाया गया था। हालांकि, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन. डी. पी. एस. अधिनियम") के प्रावधान इस मायने में स्पष्ट हैं कि धारा 37 के तहत प्रतिबंध एक ऐसे चरण में है जहां मामले को नियमित जमानत देने के लिए विचार किया जाता है। अग्रिम जमानत देने के लिए मामले पर विचार के चरण में इस तरह के किसी प्रतिबंध के बारे में नहीं सोचा जाता है और इसे लागू नहीं किया जाता है। दूसरी ओर, अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से विपरीत हैं और धारा 18 में प्रतिबंध केवल अग्रिम जमानत के लिए मामले पर विचार के चरण में है और ऐसा कोई प्रतिबंध उपलब्ध नहीं है जबकि मामले को नियमित जमानत देने के लिए विचार किया जाना है। सैद्धांतिक रूप से यह कहना संभव है कि संहिता की धारा 438 के तहत एक आवेदन को अधिनियम की धारा 18 में स्पष्ट प्रतिबंधों के कारण अदालत द्वारा खारिज किया जा सकता है, लेकिन वही अदालत गिरफ्तारी के तुरंत बाद संहिता की धारा 437 के प्रावधानों के तहत जमानत दे सकती है। अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाने की इस स्थिति के पीछे कोई तार्किक तर्क प्रतीत नहीं होता है, जबकि नियमित जमानत देने के लिए किसी भी तरह से ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए यह और भी अधिक आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि धारा के तहत स्पष्ट बहिष्कार किया जाए। 18 अधिनियम की धारा वास्तविक मामलों तक सीमित है और लागू नहीं होती है जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

53. हमारा उक्त निर्णय में दिए गए इस प्रस्ताव से कोई विवाद नहीं है कि अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध करने वाले व्यक्तियों को ऐसा करना चाहिए

अग्रिम जमानत उसी तरीके से नहीं दी जाएगी जिस तरह से अन्य मामलों में समान सजा के साथ अग्रिम जमानत दी जाती है। फिर भी, सवाल यह बना हुआ है कि क्या उन मामलों में जहां अधिनियम के तहत कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, धारा 18 के तहत प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है। हम उक्त निर्णय को यह निर्धारित करने के रूप में पढ़ने में असमर्थ हैं कि बहिष्कार ऐसी स्थितियों पर लागू होता है। यदि कोई व्यक्ति यह दिखाने में सक्षम है कि, प्रथम दृष्टया, उसने एससी और एसटी के किसी सदस्य के खिलाफ कोई अत्याचार नहीं किया है और आरोप दुर्भावनापूर्ण और प्रथम दृष्टया गलत था और प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनाया गया था, तो हम ऐसे मामलों में धारा 18 को लागू करने के लिए कोई औचित्य नहीं देखते हैं। बालोथिया (ऊपर) में इस न्यायालय के दिमाग में विचार यह है कि अत्याचार के अपराधियों को अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए ताकि वे पीड़ितों को आतंकित न कर सकें। इस दृष्टिकोण के अनुरूप, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि निर्दोष व्यक्ति

जिनके खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला या स्पष्ट रूप से झूठा मामला [2018] 4 एस. सी. आर. नहीं था।

यदि अत्याचार अधिनियम की धारा 18 की वैधता को बरकरार रखे जाने के बावजूद कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है तो अग्रिम जमानत देने पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। 55. हेमा मिश्रा बनाम स्टेट ऑफ U.P.53 में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अग्रिम अनुदान के खिलाफ वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद

जमानत, एक संवैधानिक न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है

राहत देना। इस न्यायालय ने अग्रिम जमानत के मुद्दे पर विचार किया जहां ऐसा प्रावधान लागू नहीं होता है। लाल कमलेंद्र प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और Ors.54 में इस दृष्टिकोण का संदर्भ दिया गया था कि ऐसे मामलों में भी आरोपी को वास्तव में गिरफ्तार किए बिना अंतरिम जमानत दी जा सकती है। कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य का भी इस आशय से उल्लेख किया गया था कि ऐसे मामलों में भी अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र वर्जित नहीं है।

56. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक क़ानून को पृष्ठभूमि और उसके उद्देश्य के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। शाब्दिक व्याख्या के बजाय, अदालत ने वर्तमान संदर्भ में, कानून के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्याख्या को प्राथमिकता दे सकते हैं। आनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 और 21 के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। प्रभावित करने वाला प्रक्रियात्मक दंडात्मक प्रावधान

नागरिकों की स्वतंत्रता को निष्पक्षता और तर्कसंगतता की अवधारणा के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए।

57. केदार नाथ बनाम बिहार राज्य मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहाः

" 26. यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि किसी अधिनियम की व्याख्या करते समय न्यायालय को न केवल शाब्दिक रूप से ध्यान रखना चाहिए

उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ, लेकिन कानून के पूर्व इतिहास, इसके उद्देश्य और उस शरारत को भी ध्यान में रखता है जिसे यह दबाने का प्रयास करता है [दृश्य (1) बंगाल इम्युनिटी कंपनी लिमिटेड v. बिहार राज्य [1955 2 एस. सी. आर. 603] और (2) आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम। भारत संघ [1957 एस. सी. आर. 930]। उस प्रकाश में देखते हुए, हमें इसमें कोई संकोच नहीं है

53 (2014) 4 एस. सी. सी. 453-पैरा 21,34 से 36 54 (2009) 4 एस. सी. सी. 437

55 (1994) 3 एससीसी 569-पैरा 368 (17) 56 ए. आई. आर 1962 एस. सी 955:

1962 उदाहरण के लिए (2) एससीआर 769 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

इन मामलों में आक्षेपित धाराओं के प्रावधानों का यह अर्थ लगाना कि उनके आवेदन को अव्यवस्था पैदा करने या कानून में गड़बड़ी करने के इरादे या प्रवृत्ति वाले कार्यों तक सीमित करना और

आदेश, या हिंसा के लिए उकसाना।

27. हम कानूनी स्थिति पर भी विचार कर सकते हैं, जैसा कि यह उभरना चाहिए, यह मानते हुए कि मुख्य धारा 124-ए का शाब्दिक अर्थ में अर्थ लगाया जा सकता है जिसमें न्यायिक

प्रिवी काउंसिल की समिति ने ऊपर उल्लिखित मामलों में इसका अर्थ लगाया है। उस धारणा पर, क्या इस न्यायालय के लिए यह अधिकार नहीं है कि वह धारा का इस तरह से अर्थ निकाले कि धारा के अनुप्रयोग को उस तरीके से सीमित करके कथित असंवैधानिकता से बचा जा सके जिस तरह से संघीय न्यायालय ने इसे लागू करने का इरादा किया था? हमारी राय में, इस न्यायालय के निर्णय हैं जो कानूनी स्थिति के बारे में हमारे उस दृष्टिकोण को उचित ठहराते हैं। आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम के मामले में यह न्यायालय। भारत संघ ने इस न्यायालय के साथ-साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की अदालतों के कई फैसलों की विस्तार से जांच की है। उन निर्णयों की जांच करने के बाद, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि किसी कानून के विवादित प्रावधान विवादित धारा या अधिनियम के शब्दों में से एक दृष्टिकोण को अपनाकर विधायिका की संवैधानिक शक्तियों के भीतर आते हैं, तो न्यायालय मामले के उस दृष्टिकोण को अपनाएगा और अपने आवेदन को सीमित करेगा।

तदनुसार, उस दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हुए जो इसकी व्याख्या के एक अन्य दृष्टिकोण पर इसे असंवैधानिक बना देगा

प्रश्न में शब्द। उस मामले में, न्यायालय को "पुरस्कार प्रतियोगिताओं" की परिभाषा के बीच चयन करना था जो उन प्रतियोगिताओं तक सीमित थी जो जुआ खेलने की थीं।

चरित्र और जो नहीं थे। न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को चुना जिसने अधिनियम, पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम (1955 का 42) के शेष प्रावधानों को अधिनियम और नियमों की धारा 4 और 5 के विशेष संदर्भ के साथ बनाया।

11 और उसके तहत बनाए गए 12 वैध हैं। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जुर्माना केवल उन प्रतियोगिताओं के लिए लगाया जाता है जिनमें जुआ का तत्व शामिल होता है और वे प्रतियोगिताएँ जिनमें सफलता कौशल पर काफी हद तक निर्भर करती है, अधिनियम के दायरे से बाहर मानी जाती हैं। उस मामले में निर्णय का अनुपात, हमारी राय में, हाथ में मामले पर लागू होता है क्योंकि हम इसके संचालन को केवल ऐसी गतिविधियों तक सीमित करने का प्रस्ताव करते हैं जो संघीय [2018] 4 एस. सी. आर. की टिप्पणियों के दायरे में आती हैं।

अदालत, अर्थात, हिंसा के लिए उकसाने वाली गतिविधियाँ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने या सार्वजनिक शांति में खलल डालने की मंशा या प्रवृत्ति।

58. वर्तमान संदर्भ में, अपराध पैदा करने में विधायिका के विवेक पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत न्याय एक न्यायिक कार्य है

तथ्यों पर निर्भर करता है। एक नीति के रूप में, अग्रिम जमानत को बाहर रखा जा सकता है लेकिन बहिष्करण का उद्देश्य लागू नहीं किया जा सकता है जहां एक स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण संस्करण पेश किया जाता है। न्यायालयों के पास न्याय करने के लिए अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र है और इस अधिकार क्षेत्र को बाहर करने का इरादा नहीं हो सकता है। इस प्रकार, न्यायालय की अधिकारिता के बहिष्करण को निरपेक्ष नहीं माना जाना चाहिए।

59. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि किसी भी जाति से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एकतरफा आरोप, जब इस तरह के आरोप स्पष्ट रूप से प्रेरित और झूठे हैं, तो स्वतंत्र जांच के बिना किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, अग्रिम जमानत के प्रावधान का बहिष्करण संभवतः किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है।

उचित व्याख्या, तब लागू मानी जाए जब कोई मामला नहीं बनाया जाता है या आरोप स्पष्ट रूप से गलत या प्रेरित होते हैं। यदि इस व्याख्या को नहीं लिया जाता है, तो लोक सेवकों के लिए अपने प्रामाणिक कार्यों का निर्वहन करना मुश्किल हो सकता है और दिए गए मामलों में, उन्हें बिना किसी कानून के संरक्षण के अत्याचार अधिनियम के तहत झूठा मामला दर्ज किए जाने की धमकी के साथ ब्लैक मेल किया जा सकता है। सभ्य समाज में ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह, एक गैर-लोक सेवक को भी अपना समर्पण करने के लिए ब्लैक मेल किया जा सकता है।

नागरिक अधिकार। यह कानून का इरादा नहीं है। इस तरह का कानून न्यायिक जांच में टिक नहीं सकता है। यदि किसी व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तो यह निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का पालन करने के गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अतः वर्तमान स्थिति में शाब्दिक व्याख्या को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है।

60. उपरोक्त सर्वविदित सिद्धांत को लागू करते हुए, हम मानते हैं कि धारा 438 Cr.P.C का अपवर्जन तब लागू होता है जब

अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध किया जाता है। दूसरी ओर, यदि यह दिखाया जा सकता है कि आरोप प्रथम दृष्टया प्रेरित और झूठे हैं, तो ऐसा बहिष्कार लागू नहीं होगा।

61. गुजरात उच्च न्यायालय ने पंकज डी. सुथार (ऊपर) में

इस सवाल पर विचार किया गया कि क्या अत्याचार अधिनियम की धारा 18 अग्रिम जमानत देने से बाहर है, जब प्रथम दृष्टया न्यायिक जांच पर, आरोप संदेह से मुक्त नहीं पाए जाते हैं। उक्त प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया गयाः

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

" 4. अब निस्संदेह यह सच है कि अत्याचार अधिनियम के तहत कथित अपराध एक बहुत ही गंभीर अपराध है और यदि वास्तव में शिकायत को अंततः सच्चा और वास्तविक पाया जाता है, तो कठोरतम संभव के बारे में कोई दो विचार नहीं हो सकते हैं। इस तरह के मामले में लिया गया दृष्टिकोण। इतना ही नहीं, लेकिन अगर शिकायत

प्रथम दृष्टया भरोसेमंद भी पाया जाता है जो कहने के लिए, संदेह से मुक्त है, फिर धारा 18 के तहत वारंट के रूप में

अत्याचार अधिनियम के तहत, ऐसे अभियुक्तों की अग्रिम जमानत से भी इनकार किया जाना चाहिए। वास्तव में, संसद ने अपने पूरे विवेक से बहुत अधिक चिंता और चिंता का प्रमाण दिया है।

अत्याचार अधिनियम की धारा 18 के तहत प्रावधानों को शामिल करके एस. सी. और एस. टी. पर बेरोकटोक चल रहे अत्याचारों पर चिंता जो आरोपी को संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत प्राप्त करने से अक्षम कर रहे हैं। यह

वास्तव में यह एक स्वागत योग्य कदम है और स्वयंसिद्ध सत्य के अनुसार है। , ' बीमारी बहुत बढ़ गई है

सख्त व्यवहार किया जाए अन्यथा नहीं '। एस. सी. और एस. टी. के सदस्यों के खिलाफ अत्याचारों के माध्यम से अपराध करने की बीमारी पिछले सैकड़ों वर्षों से बेरोकटोक चल रही है और हाल के दिनों में यह खतरनाक रूप से बढ़ रही है और इतनी व्यापक हो गई है, सांस लेने वाली हो गई है और इस हद तक हताश हो गई है कि इसे वास्तव में एक बहुत ही कठोर और हताश कानून की आवश्यकता है जो मदद कर सके।

एस. सी. और एस. टी. समुदायों के ऐसे शापित, कुचले और दलित सदस्यों को प्रभावी ढंग से कानूनी सुरक्षा प्रदान करके स्थिति को बचाएं। ऐसी परिस्थितियों में, यह समान रूप से

प्रत्येक न्यायालय का सर्वोच्च कर्तव्य यह देखना है कि वह विधायी चिंता और आह्वान का जवाब देता है और प्रभावी सुनिश्चित करता है

अत्याचार अधिनियम का कार्यान्वयन, यह देखते हुए कि उक्त अधिनियम में निहित प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाता है। लेकिन फिर, इस न्यायालय के अनुसार संसद के सामूहिक विवेक के आधार पर सबसे स्वागत योग्य कदम क्या है?

सामाजिक लाभकारी कानून की शुरुआत को व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कुछ व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए एक उपकरण के रूप में दुरुपयोग और परिवर्तित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है या विरोधियों के खिलाफ कुछ जवाबी हमलों के माध्यम से कुछ लोक सेवकों, जैसा कि वर्तमान मामले में प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में बुनियादी सवाल हैं-क्या एक मशाल जो [2018] 4 एस. सी. आर. है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अंधेरा दूर करने के लिए प्रकाश को निर्दोष परिवेश में आग लगाने की अनुमति दी जा सकती है? चाहे एक चाकू एक

उपकरण जो उपयोग करके मानव जीवन को बचाने के लिए है एक सर्जन द्वारा ऑपरेशन के दौरान वही, क्या यह हो सकता है

कुछ निर्दोष लोगों की जान लेने में इस्तेमाल करने की अनुमति? तथ्यों में भी यही मौलिक प्रश्न उत्पन्न होता है और

इस मामले की परिस्थितियाँ भी। , ' क्या एस. सी. और एस. टी. समुदायों के समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा के उद्देश्यों के लिए विशेष रूप से अधिनियमित वर्तमान अत्याचार अधिनियम जैसे किसी भी क़ानून का आसानी से दुरुपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

विरोधियों से व्यक्तिगत बदला लेना? ' इस सवाल का जवाब निस्संदेह और स्पष्ट रूप से 'नहीं' है। ऐसी परिस्थितियों में, यदि न्यायालयों को अत्याचार अधिनियम की धारा 18 के ऐसे प्रावधान को लागू करना है

केवल कुछ शब्दों के आधार पर कुछ सामान्य और लोकप्रिय पूर्वाग्रहों और शिकायत में केवल धारणाओं पर मुश्किल आरोपों के आधार पर समझदारी से जांच और संभावनाओं का परीक्षण किए बिना,

शिकायत आदि में आरोपों की सच्चाई, वास्तविकता और अन्यथा निर्भरता, तो यह केवल अनजाने में और विश्वास के साथ न्याय से इनकार करने में कुछ षड्यंत्रकारी बेईमान शिकायतकर्ता के हाथों में खेलना होगा। वस्तुतः, अपने न्यायिक कर्तव्य का त्याग करना और उसे अस्वीकार करना, ऐसे मामलों में ऐसे बेईमान शिकायतकर्ता के पक्ष और हाथों में न्याय करने की सनक,

उसे अपने मामले में न्यायाधीश बनाना। यह केवल अकल्पनीय है और इसलिए अस्वीकार्य है। क्या किसी विशेष अधिनियम के प्रावधान और उस उद्देश्य के लिए उसके तहत बनाए गए नियम किसी अधिनियम के तथ्यों पर लागू होते हैं।

विशेष मामला हो या न हो, यह हमेशा और निर्विवाद रूप से एक ऐसा मामला है जो सख्ती से और विशेष रूप से इसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

न्यायिक विचार-विवेकाधिकार और इसलिए न तो शिकायतकर्ता पर स्वयं लगाए गए आरोप और न ही अभियुक्त द्वारा किए गए इनकार या तो स्वचालित रूप से न्यायालय को अपने अंतिम न्यायिक कार्य के निर्वहन से वंचित कर सकते हैं।

प्रथम दृष्टया बारीकी से जांच और परीक्षण करने का कर्तव्य

शिकायत में लगाए गए आरोपों की निर्भरता और अपने निर्णय पर पहुंचना।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

श्री पारदीवाला द्वारा उच्च परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता-अभियुक्त, वही प्रथम

यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इस स्तर पर शिकायतकर्ता डॉक्टरों द्वारा बताई गई कहानी संदेह से मुक्त नहीं प्रतीत होती है। यदि ऐसा है, तो अत्याचार अधिनियम बहुत लागू होता है।

संदिग्ध। यदि ऐसी स्थिति है तो केवल इन आरोपों और इस धारणा पर कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त ने अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध किया है, अग्रिम जमानत देने से इनकार करना पूरी तरह से अवैध, अनुचित, अन्यायपूर्ण होगा।

और अंततः न्याय का उपहास। कोई भी न्यायालय कभी भी अग्रिम जमानत से इनकार करने के ऐसे खतरों को स्वीकार नहीं कर सकता है।

संदिग्ध आरोप और धारणाएँ कि अत्याचार अधिनियम लागू होता है। किसी भी अदालत को यह अनुमति नहीं दी जा सकती थी कि वह शिकायतकर्ता द्वारा 'चम्मच-खिलाया' जाए कि वह जो कुछ भी खिलाना चाहता है और जो कुछ भी वह चाहता है उसे निगल ले ताकि अदालत उसके अन्यायपूर्ण दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त कर सके और उन्हें सुरक्षित कर सके। अत्याचार अधिनियम की धारा 18 अदालत को उन मामलों के बारे में एक दृष्टिकोण, निर्देश और जनादेश देती है जहां अग्रिम जमानत से इनकार किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और यह निश्चित रूप से दूर नहीं हो सकता है

शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रथम दृष्टया न्यायिक जांच करने का किसी भी न्यायालय का अधिकार। न ही यह कुछ बेईमान शिकायतकर्ता के दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के अनुरूप कानून के प्रावधानों के तहत दुरुपयोग किया जा सकता है। इस मामले में भी यदि वास्तव में यह न्यायालय शिकायतकर्ता द्वारा सत्य और वास्तविक के रूप में प्रकट की गई कहानी से संतुष्ट होता, तो अग्रिम जमानत निश्चित रूप से एक मामले के रूप में तुरंत खारिज कर दी जाती, लेकिन चूंकि श्री पारदीवाला की दलीलों का काफी बल है, इसलिए इस न्यायालय के पास कोई अधिकार नहीं है।

वैकल्पिक लेकिन न्याय के व्यापक हित में इसे स्वीकार करने के लिए यह देखने के लिए कि केवल शिकायत में आरोपों के कारण होने वाले प्रत्यक्ष पूर्वाग्रह के आधार पर, याचिकाकर्ता-अभियुक्त को अग्रिम जमानत के अपने बहुमूल्य अधिकार से वंचित नहीं किया जाता है।

6. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हालांकि एक तरह से

विद्वान ए. पी. पी. बिल्कुल सही हैं जब उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-अभियुक्त को कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अत्याचार अधिनियम की धारा 18 के कारण, इस न्यायालय की राय में, उनका प्रस्तुतिकरण विफल हो जाता है क्योंकि इस स्तर पर यह भी [2018] 4 एस. सी. आर. है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की संभावना को खारिज करना मुश्किल है-आरोपी ने अत्याचार अधिनियम के तहत अपराध किया है जो झूठा, परेशान करने वाला और जवाबी हमले के रूप में याचिकाकर्ता को अपमानित करने, अपमानित करने और हतोत्साहित करने के गुप्त उद्देश्य से उत्पन्न होता है-आरोपी जो एक लोक सेवक है। जब यही परिणाम और स्थिति होती है, तो विद्वान ए. पी. पी. द्वारा आशंका व्यक्त की गई अत्याचार अधिनियम की धारा 18 को दरकिनार करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है।

इस विशेष मामले की परिस्थितियों और उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह विविध है। के लिए आपराधिक आवेदन अग्रिम जमानत की अनुमति दी जानी चाहिए और अनुमति दी जानी चाहिए

तदनुसार "

62. डॉ. एन. टी. देसाई (ऊपर) में बलौथिया (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले पर विचार करते हुए उपरोक्त दृष्टिकोण को दोहराया गया था। यह आदेश दिया गया कि अत्याचार अधिनियम की धारा 18 को वैध मानते हुए भी, यदि प्रथम दृष्टया, शिकायतकर्ता की कहानी संदिग्ध पाई जाती है, तो अभियुक्त को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसा करने से

सीएल। यह देखा गया था;

" 8. विद्वान ए. पी. पी. श्री देसाई द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति से निपटने के लिए, यह कहा जा सकता है कि एम. पी. और ए. एन. आर. राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय दिया गया है। वी. रामकिशन बलोथिया (ऊपर) पूरी तरह से अलग आधार पर खड़ा है जहां अधिनियम की धारा 18 का अधिकार है। तय करने के लिए आया। सर्वोच्च न्यायालय ने अंततः यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 18 अधिकार से बाहर नहीं थी। यह न्यायालय वास्तव में उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के साथ सम्मानजनक सहमति में है।

लेकिन फिर शिकायत की अधिक बारीकी से जांच करने के बाद, विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा उजागर किए गए अजीब तथ्यों की पृष्ठभूमि और अंत में शिकायत दर्ज करने के लिए अग्रणी स्थिति की पृष्ठभूमि में, यह न्यायालय शुरू में ही शिकायतकर्ता की कहानी के बारे में कुछ संदेह में है और फिर भी अगर यह आसानी से, एक भोली-भाली बच्ची की तरह शिकायत में लगाए गए आरोपों को अपने अंकित मूल्य पर स्वीकार करता है, तो यह निश्चित रूप से गलती करना और डी. आर. को भटकाना होगा।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

जमानत के मार्ग से-न्याय, षड्यंत्रकारी शिकायतकर्ता के हाथों में खुद को आसानी से उपलब्ध कराना जो केवल

पूछना कुछ झूठे आरोपों पर आरोपी को गिरफ्तार कर लेगा

अत्याचार अधिनियम के तहत गैर-जमानती अपराध करने का, जिसका अर्थ है कि न्यायालय खुद को काफी बधिर, गूंगा और अंधा बना रहा है, अपनी सामान्य समझ, न्याय के लिए कोई धारणा के बिना सामान्य विवेक को गिरवी रख रहा है, आरोपी को सही सुरक्षा से इनकार कर रहा है जो किसी समय षड्यंत्रकारी, बेईमान शिकायतकर्ताओं के हाथों तैयार प्यादा बन जाता है! ! ! प्रथम दृष्टया संदिग्ध आरोप के सामने इस तरह का आत्मसमर्पण

शिकायत में न्यायिक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है, यदि नहीं

गैर-न्यायिक! ! ..... "

63. उपरोक्त निर्णय अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में बहिष्करण के दायरे के साथ-साथ अग्रिम जमानत की अनुमति को सही ढंग से निर्धारित करते हैं और हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप हैं। इस प्रकार, अत्याचार अधिनियम की धारा 18 को इस तरह से पढ़ा और व्याख्या की जानी चाहिए। इस स्तर पर, हम ध्यान दे सकते हैं कि हमने प्रवीणचंद्र एन सोलंकी और अन्य मामलों में उक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ का एक विपरीत दृष्टिकोण देखा है। बनाम गुजरात राज्य "। हम पहले से दिए गए कारणों के कारण उक्त दृष्टिकोण को स्वीकार करने और उसे खारिज करने में असमर्थ हैं।

64. "उचित प्रक्रिया" की अवधारणा और अमेरिकी संविधान के 8 वें संशोधन के सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा गारंटी के हिस्से के रूप में पढ़ा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत। पंजाब राज्य बनाम दलबीर सिंह में यह देखा गया थाः

" 80. यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि हमारे संविधान में "उचित प्रक्रिया" की अवधारणा को मेनका मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया था

गाँधी [(1978) 1 एस. सी. सी. 248] आठवें संशोधन के सिद्धांतों को भी हमारे कानूनों में शामिल किया गया है। यह इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुनील बत्रा मामले में [(1978) 4 एस. सी. सी. 494] एस. सी. सी. पैरा 52 पी. 518 रिपोर्ट में, कृष्ण अय्यर, जे।

पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः

" 52. यह सच है कि हमारे संविधान में कोई 'उचित प्रक्रिया' खंड या आठवां संशोधन नहीं है; लेकिन, कानून की इस शाखा में,

कूपर [रुस्तम कावासजी कूपर बनाम यूओआई (1970) 1 एससीसी

जो दंडात्मक रूप से अपमानजनक, निंदनीय रूप से असामान्य है या क्रूर और पुनर्वासित रूप से प्रतिकूल, निर्विवाद रूप से है

अनुचित और मनमाना है और अनुच्छेद 14 द्वारा खारिज किया गया है

और 19 और यदि प्रक्रियात्मक अन्याय के साथ लगाया जाता है, तो गलत हो जाता है

अनुच्छेद 21 "।

XXX

XXXX

XXXX

84. "उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत एक उद्गम है

मैग्ना कार्टा सिद्धांत। यह अमेरिका में स्वीकार किया गया था।

न्यायशास्त्र (देखें मुन्न बनाम। इलिनोइस [24 एल एड 77], एल एड पी। 90

: यूएस पी। 142) . फिर से यह नियोजित में स्वीकार किया गया था

दक्षिणपूर्वी पेनसिल्वेनिया का पितृत्व बनाम। केसी [120 एल एड 2 डी 674] जिसमें अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की

इस प्रकार हैः

" उचित प्रक्रिया की गारंटी, हालांकि उनकी जड़ें हैं

मैग्ना कार्टा के 'प्रति लेगम टेरे' में और माना जाता है

कार्यकारी हड़पने के खिलाफ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय और

अत्याचार ', इस देश में' गढ़ भी बन गए हैं

मनमाने कानून के खिलाफ '।

के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गारंटी में संविधान "।

65. निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है। इसमें कोई संदेह नहीं है, स्थापना

कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त पर सबूत का आधार हो सकता है -

सिबल लेकिन अपराध की धारणा नहीं हो सकती है ताकि एक को वंचित किया जा सके

एक स्वतंत्र मंच के सामने बिना किसी अवसर के अपनी स्वतंत्रता का

इरट। नूर आगा बनाम पंजाब राज्य में यह देखा गया थाः

" 33. निर्दोषता का अनुमान एक मानव अधिकार है जैसा कि परिकल्पना की गई है।

सिविल पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा के अनुच्छेद 14 (2) के तहत

और राजनीतिक अधिकार। हालाँकि, इसकी बराबरी नहीं की जा सकती है।

अनुच्छेद में उल्लिखित मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के साथ

21 भारत का संविधान। यह, हद को देखते हुए

इसके अलावा, अन्य वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेगा

) 16 एस. सी. सी. 417 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

(जो, निश्चित रूप से, के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए

भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में उल्लिखित संवैधानिक गारंटी)।

XXXX

XXXX

XXXX

35. निर्दोष माने जाने का अधिकार, कुछ मूलभूत तथ्यों की स्थापना और कुछ हद तक सबूत के बोझ के अधीन, एक आरोपी पर रखा जा सकता है। इसका अर्थ अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए कि इसे संवैधानिक माना गया है। इस प्रकार, एक क़ानून हो सकता है

संवैधानिक लेकिन उसके तहत एक अभियोजन एक नहीं माना जा सकता है। निर्विवाद रूप से, नागरिक स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए। XXXX

XXXX

XXXX

43. मानवाधिकार व्यवस्था के विपरीत बोझ के मुद्दे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सामान्य कानून का दृष्टिकोण यह है कि किसी व्यक्ति को साबित करना अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है

दोषी हैं। निर्विवाद रूप से, यह सामान्य कानून सिद्धांत इसके विपरीत संसदीय कानून के अधीन था। अब दुनिया भर में जो चिंता दिखाई दे रही है वह यह है कि संसदें अक्सर निर्दोषता के बुनियादी अनुमान पर पैठ बना रही थीं। दुर्भाग्य से, अन्य देशों के विपरीत भारत में कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया गया है कि अदालत में कितने अपराधों की सुनवाई की जा सकती है जहां कानूनी बोझ अभियुक्त पर है। यूनाइटेड किंगडम में यह कहा गया है कि क्राउन कोर्ट में विचाराधीन अपराधों में से लगभग 40 प्रतिशत अनुमान का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं। ("द प्रसेम्पशन ऑफ इनोसेंस इन इंग्लिश क्रिमिनल लॉ", 1996, सी. आर. आई. एम. देखें। एल. आरईवी। 306 , पी पर। 309.)

44. मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) के अनुच्छेद 11 (1) में कहा गया है:

" दंडात्मक अपराध के लिए आरोपित प्रत्येक व्यक्ति को होने का अधिकार है

कानून के अनुसार दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है।

मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए यूरोपीय समझौते (1950) के अनुच्छेद 6.2 और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते (1966) के अनुच्छेद 14.2 में भी इसी तरह के प्रावधान किए गए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक्सएक्सएक्स

XXXX

XXX

XXX

47. हम देख सकते हैं कि सैक्स, जे. इन स्टेट बनाम। कोएत्ज़ी [1997 (2) एल. आर. सी. 593] ने अनुमान के महत्व को समझाया

निम्नलिखित शब्दों में निर्दोषता:

" सभी आपराधिक प्रक्रियाओं के केंद्र में एक विरोधाभास है

कि अपराध जितना अधिक गंभीर और जनता उतनी ही अधिक होगी दोषियों की सजा सुनिश्चित करने में रुचि, अधिक

अभियुक्तों की संवैधानिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है।

बन जाता है। किसी भी संतुलन जांच का प्रारंभिक बिंदु जहाँ

संवैधानिक अधिकारों की चिंता यह होनी चाहिए कि जनता

यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि निर्दोष लोगों को दोषी नहीं ठहराया जाता है और बड़े पैमाने पर अपमान और भारी वाक्यों के अधीन

यह सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित से अधिक है कि एक विशेष अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है। ..... अतः यह अनुमान लगाया जाता है कि

निर्दोषता, जो न केवल किसी विशेष की रक्षा करने के लिए कार्य करती है

मुकदमे में व्यक्ति, लेकिन जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए कानूनी प्रणाली की स्थायी अखंडता और सुरक्षा। संदर्भ

इसलिए किसी निश्चित अपराध की व्यापकता और गंभीरता के लिए

संतुलन में कुछ भी नया या विशेष नहीं जोड़ता है व्यायाम करें। अपराध की हानिकारकता एक है

दिया जाता है, जिसके खिलाफ निर्दोषता का अनुमान लगाया जाता है

शुरू से ही, इसमें एक नया तत्व नहीं डाला जाना है

एक न्यायसंगत संतुलन अभ्यास के हिस्से के रूप में तराजू। अगर यह

हत्या, बलात्कार, कार-जैकिंग, घर तोड़ने के संबंध में उपयोग किया जाता है, नशीली दवाओं की तस्करी, भ्रष्टाचार। दुर्भाग्य से सूची लगभग है।

अंतहीन, और अनुमान से कुछ भी नहीं बचेगा मासूमियत, शायद, एक डौटी के रूप में इसकी अवशेष स्थिति के लिए

सबसे तुच्छ मामलों में अधिकारों का रक्षक।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, एक अभियुक्त निश्चित रूप से दिखाने का हकदार है

यदि वह गिरफ्तारी की आशंका करता है, तो शिकायतकर्ता का मामला था

टेड। यदि ऐसा दिखाया जा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय ऐसा नहीं करता है।

ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। कोई जनादेश नहीं हो सकता है

निर्दोष की गिरफ्तारी के लिए कानून। कानून की व्याख्या की जानी चाहिए

इंगली।66. हम पिछले दशकों में इस अधिनियम के काम करने को पहले ही देख चुके हैं। यह न्यायिक रूप से स्वीकार किया गया है कि

राजनीतिक डी. आर. के खिलाफ निहित स्वार्थों द्वारा अधिनियम के दुरुपयोग का आरोप।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। राज्य

महाराष्ट्र AND ANDR। [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

पंचायत, नगरपालिका या अन्य चुनावों में विरोधियों को निजी समझौता करने के लिए

संपत्ति, मौद्रिक विवादों, रोजगार विवादों और वरिष्ठता विवादों से उत्पन्न होने वाले नागरिक विवाद। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की शिकायतें 'विशेष रूप से लोक सेवकों/अर्ध न्यायिक/न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ निहित स्वार्थों की संतुष्टि के लिए अप्रत्यक्ष उद्देश्य से दर्ज की जा रही हैं'

67. निर्दोष नागरिकों को अभियुक्त कहा जाता है, जो विधायिका द्वारा अभिप्रेत नहीं है। विधायिका का कभी भी अत्याचारों का उपयोग करने का इरादा नहीं था ब्लैकमेल करने या व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करें। द.

अधिनियम का उद्देश्य लोक सेवकों को उनके प्रामाणिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकना भी नहीं है। इस प्रकार, जब तक अग्रिम जमानत का बहिष्कार वास्तविक मामलों तक सीमित नहीं है और उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है, तब तक निर्दोष नागरिकों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रकार, ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत के बहिष्करण को सीमित करना जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

संविधान का अनुच्छेद 21। 68. तदनुसार, हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अग्रिम जमानत के प्रावधान का बहिष्कार तब लागू नहीं होगा जब कोई प्रथम दृष्टया नहीं होगा।

मामला बनाया जाता है या मामला स्पष्ट रूप से गलत या दुर्भावनापूर्ण होता है। इसे संबंधित न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्धारित करना पड़ सकता है। ऐसा करते हुए, हम कानून के एक सुस्थापित सिद्धांत को दोहरा रहे हैं कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ निर्दोष लोगों की सुरक्षा अदालत के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है, जो दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी जैसी किसी भी दमनकारी कार्रवाई के खिलाफ न्याय तक पहुंच और स्वतंत्रता की सुरक्षा का हिस्सा है। ऐसा करने में, हम योग्य मामलों में धारा 18 की प्रभावशीलता को कम नहीं कर रहे हैं, जहां अदालत किसी मामले को प्रथम दृष्टया वास्तविक हिरासत में पूछताछ और मुकदमे से पहले गिरफ्तारी और हिरासत की गारंटी देता है।

69. लाल कमलेंद्र प्रताप (उपरोक्त) मामले में, इस अदालत ने कहा कि भले ही अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान न हो, लेकिन अदालत अंतरिम जमानत दे सकती है।

उपयुक्त मामलों में जमानत। यह देखा गयाः

" 6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने आशंका व्यक्त की है कि अपीलार्थी को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है - उत्तर प्रदेश राज्य में अग्रिम जमानत उन्होंने अमरावती बनाम में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर भरोसा किया। राज्य

60 धीरेन प्रफुल्ल भाई (ऊपर) 61 शरद (ऊपर)

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यू. पी. [2005 सी. आर. एल. एल. जे. 755 (सभी)] जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की सात-न्यायाधीश पूर्ण पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय, यदि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है, तो जमानत के अंतिम निपटारे तक अंतरिम जमानत दें।

आवेदन। पूर्ण पीठ ने यह भी कहा कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध की प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं है। पूर्ण पीठ ने जोगिंदर कुमार बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। यू. पी. का राज्य [(1992) 4 एस. सी. सी. 260]

7. हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं।

अमरावती मामला और हम निर्देश देते हैं कि उक्त निर्णय

उत्तर प्रदेश में सभी न्यायालयों द्वारा अक्षर और भावना में पालन किया जाता है, विशेष रूप से जब से अग्रिम जमानत का प्रावधान मौजूद नहीं है

यू. पी

8. उचित मामलों में अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए।

अंतिम जमानत आवेदन का निपटारा होने तक, क्योंकि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती है, जैसा कि इस अदालत ने जोगिंदर कुमार मामले में कहा था। इसके अलावा, संज्ञेय अपराधों के सभी मामलों में गिरफ्तारी आवश्यक नहीं है, और यह तय करने में कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया जाना है या नहीं, जोगिंदर कुमार मामले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार निर्देशित और कार्य किया जाना चाहिए।

70. विकास पांडुरंग मामले (ऊपर) में, यह देखा गया थाः

" 10. ..... जब किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाता है।

एससी/एसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत, कोई भी अदालत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं करेगी, जब तक कि यह प्रथम दृष्टया न हो।

पता चलता है कि इस तरह का अपराध नहीं बनाया गया है।

72. दादू उर्फ तुलसीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य 62 मेंमामलों में एक अपीलीय अदालत द्वारा जमानत के बहिष्कार की वैधता पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने इस दलील पर ध्यान दिया कि विधायिका निलंबन के खिलाफ वैधानिक निषेध द्वारा न्यायिक शक्तियों को दूर कर सकती है।

सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

अपील के लंबित रहने के दौरान सजा। यह जरूरी है

न्यायिक कार्य। प्रासंगिक अवलोकन इस प्रकार हैं:

" 16. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील शक्तियों पर धारा के प्रतिकूल प्रभाव से अधिक चिंतित थे।

न्यायपालिका से। यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हुए कि यह धारा जहां तक उपयुक्त सरकार से संबंधित है, वैध थी, यह तर्क दिया गया कि विधायिका वैधानिक निषेध द्वारा न्यायालय की न्यायिक शक्तियों को छीनने में सक्षम नहीं है जैसा कि विवादित धारा के माध्यम से किया गया है। दोषसिद्धि पर सजा देना, देश में स्थापित न्यायालयों द्वारा निर्वहन किया जाने वाला एक न्यायिक कार्य है। हालाँकि, यह हमेशा न्यायिक विवेक का मामला है, जो कानून द्वारा निर्धारित किसी भी अनिवार्य न्यूनतम सजा के अधीन है। आपराधिक अदालत द्वारा सजा का अधिनिर्णय, जहाँ भी अपील के अधिकार के अधीन किया जाता है, उसमें हस्तक्षेप या हस्तक्षेप इस तरह से नहीं किया जा सकता है जो न केवल हस्तक्षेप के बराबर है, बल्कि वास्तव में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीनने के बराबर है। सजा सुनाना और अपील में इसकी वैधता या पर्याप्तता पर विचार करना अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य है जो प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में सजा को निलंबित करने की शक्ति को अपने दायरे में रखता है।

अपील के निपटारे तक "।

एक व्यक्ति की स्वतंत्रता लेने से पहले एक आपराधिक मामले में आरोप दूर। विधायिका का इरादा यह नहीं हो सकता था कि किसी भी एकतरफा संस्करण को निर्णायक माना जाना चाहिए और ऐसा आरोप लगाने वाले व्यक्ति को

न्यायिक के अपवर्जन के लिए इसकी शुद्धता का एकमात्र न्यायाधीश होना चाहिए

प्रतिद्वंद्वी की सच्चाई या अन्यथा का आकलन करने के लिए न्यायालयों का कार्य

किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समक्ष विवाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।

74. इस प्रकार यह पेटेंट है कि अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में,

अग्रिम जमानत के अधिकार का बहिष्करण केवल तभी लागू होता है जब मामला

प्रामाणिक रूप से दिखाया गया है और यह कि प्रथम दृष्टया यह अत्याचार अधिनियम के तहत आता है और अन्यथा नहीं। धारा 18 वहाँ लागू नहीं होती है जहाँ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है या पेटेंट के झूठे निहितार्थ के मामलों में या जब आरोप बाहरी कारणों से प्रेरित है। हम पंकज डी. सुथार (ऊपर) और डॉ. एन. टी. देसाई (ऊपर) में गुजरात उच्च न्यायालय के विचार को स्वीकार करते हैं। हम इस आशय के बलौथिया (ऊपर) और मंजू देवी (ऊपर) के निर्णयों को स्पष्ट करते हैं।

गिरफ्तारी और गलत प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को जारी करना

75. अब हम इस मुद्दे से निपट सकते हैं कि कौन से निर्देश, यदि कोई हों,

के संबंध में कानूनी स्थिति को स्पष्ट करने के अलावा आवश्यक हैं

अग्रिम जमानत। संवैधानिक आदर्शों को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी अत्याचार से वंचित लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से अत्याचार अधिनियम बनाया गया है। साथ ही, उक्त अधिनियम को किसी के द्वारा शोषण या उत्पीड़न के लिए चार्टर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

बेईमान व्यक्ति या पुलिस द्वारा अन्य नागरिकों के खिलाफ बाहरी कारणों से जैसा कि ऊपर उल्लिखित निर्णयों में कई अवसरों पर पाया गया है। जाति या धर्म की परवाह किए बिना किसी भी निर्दोष नागरिक का कोई भी उत्पीड़न संविधान की गारंटी के खिलाफ है। इस अदालत को करना चाहिए ऐसी गारंटी लागू करें। कानून के परिणामस्वरूप जातिगत घृणा नहीं होनी चाहिए। संविधान की प्रस्तावना, जो व्याख्या के लिए मार्गदर्शक तारा है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को शामिल करती है।

76. हम संतुष्ट हैं, पहले से ही संदर्भित आंकड़ों के प्रकाश में

साथ ही संसद की स्थायी समिति के निर्णयों और टिप्पणियों का हवाला दिया कि निर्दोष नागरिकों को झूठे निहितार्थ और अनावश्यक गिरफ्तारी से बचाने की आवश्यकता है, जिसके लिए कानून के तहत कोई मंजूरी नहीं है जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित संवैधानिक गारंटी और गिरफ्तारी के कानून के खिलाफ है।

77. हम इस बात से अवगत हैं कि सामान्य नियम एफ. आई. आर. दर्ज करना है यदि कोई हो।

जानकारी एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करती है। हालाँकि, इस नियम के अपवाद भी हैं। ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ U.P.63 में, यह देखा गया थाः

" 115. हालाँकि, हम, स्पष्ट रूप से, उस धारा को मानते हैं 154 संहिता के अनिवार्य पंजीकरण का प्रतिपादन करता है

सभी संज्ञेय अपराधों की प्राप्ति पर प्राथमिकियां, फिर भी, हो सकती हैं

ऐसे मामले जहां प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती है

अपराधों की उत्पत्ति और नवीनता में परिवर्तन के साथ

समय की पारगमन। ऐसा ही एक उदाहरण है -

चिकित्सा लापरवाही से संबंधित आरोप

डॉक्टर। मुकदमा चलाना अनुचित और असमान होगा केवल आरोपों के आधार पर चिकित्सा पेशेवर

शिकायत की।

XXXX

XXXX

X

XXX

63 (2014) 2 एस. सी. सी. 1 सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम। हरियाणा राज्य और ए. एन. आर. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

117. भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के संदर्भ में, यह

पी. सिराजुद्दीन [(1970) 1 एस. सी. सी. 595] में अदालत ने व्यक्त किया

उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पहले प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है।

लोक सेवक।

XXXX

XXXX

XXXX

120.6 . किस प्रकार और किन मामलों में प्रारंभिक जांच

प्रत्येक मामले में। उन मामलों की श्रेणी जिनमें प्रारंभिक जाँच निम्नानुसार की जा सकती हैः

((घ) भ्रष्टाचार के मामले (ई) ऐसे मामले जहां शुरू करने में असामान्य देरी/विलंब होता है।

आपराधिक अभियोजन, उदाहरण के लिए, 3 महीने से अधिक की देरी संतोषजनक व्याख्या किए बिना मामले की रिपोर्ट करना

देरी के कारण।

उपरोक्त केवल दृष्टांत हैं और संपूर्ण नहीं हैं।

सभी शर्तें जो प्रारंभिक जांच की आवश्यकता हो सकती हैं।

120.7 . अभियुक्त के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए और उनकी रक्षा करते हुए

इस तरह की देरी के तथ्य और इसके कारणों को प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए जनरल डायरी प्रविष्टि में "।

78. उपरोक्त दृष्टिकोण राज्य में पहले के निर्णयों के अनुरूप है। बनाम भगवंत किशोर जोशी 64 और पी. सिराजुद्दीन बनाम मद्रास "। भगवंत किशोर में यह देखा गया थाः

..... संहिता में किसी भी निषेध के अभाव में,

पंजीकृत करने से पहले प्रारंभिक पूछताछ करने वाला अधिकारी अपराध करना और इसकी पूर्ण पैमाने पर जांच करना। नहीं।

संदेह है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 ए थी

964 एससी 221 = 1964 (3) एससीआर 221

किसी सरकारी कर्मचारी के उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियमित और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के अलावा जांच की अनुमति नहीं है।

डिप्टी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा बनाया गया

पुलिस अधीक्षक। हालांकि, जहां एक पुलिस अधिकारी कुछ प्रारंभिक पूछताछ करता है, किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं करता है या उससे पूछताछ भी नहीं करता है या किसी गवाह से पूछताछ भी नहीं करता है, लेकिन केवल कुछ विवेकपूर्ण पूछताछ करता है या बिना कोई नोट बनाए कुछ दस्तावेजों को देखता है, तो यह कल्पना करना मुश्किल है कि कैसे कोई प्रारंभिक पूछताछ की जाती है।

संभावित उत्पीड़न या यहाँ तक कि शर्मिंदगी का परिणाम होगा

वहाँ से संदिग्ध या अभियुक्त व्यक्ति तक।

■ सिराजुद्दीन (ऊपर) यह देखा गया थाः

" 17. ..... लोक सेवक के समक्ष, उसकी स्थिति जो भी हो, वह है

सार्वजनिक रूप से बेईमानी के कृत्यों का आरोप लगाया जाता है जो

गंभीर दुराचार या कथित प्रकार का दुराचार इस मामले में और उसके खिलाफ पहली सूचना दर्ज की जाती है, एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा आरोपों की कुछ उपयुक्त प्रारंभिक जांच होनी चाहिए। व्यक्ति के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने से, विशेष रूप से वह व्यक्ति जो अपीलार्थी की तरह किसी विभाग में शीर्ष पद पर था, भले ही वह आधारहीन हो, न केवल विशेष रूप से अधिकारी को बल्कि सामान्य रूप से उस विभाग को भी अपूरणीय नुकसान होगा जिससे वह संबंधित था। यदि सरकार ने मद्रास राज्य की तरह सतर्कता और भ्रष्टाचार-रोधी विभाग की स्थापना की थी और उक्त विभाग को इस तरह की जांच का काम सौंपा गया था, तो कोई अपवाद नहीं हो सकता है।

इस विभाग के अधिकारियों द्वारा जांच के लिए ले जाया गया लेकिन

ऐसी किसी भी जांच को निष्पक्ष और उचित तरीके से आगे बढ़ना चाहिए।

})

तरीके से। .....

'y' समयबद्ध होना चाहिए और ललिता कुमारी (उपरोक्त) को ध्यान में रखते हुए सात दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।80. भले ही प्रारंभिक जांच की जाती है और मामला दर्ज किया जाता है, गिरफ्तारी आवश्यक है जैसा कि हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं। ललिता कुमारी (ऊपर) में यह

संरक्षितः

" 107. जबकि एफ. आई. आर. दर्ज करना अनिवार्य है, गिरफ्तारी

एफ. आई. आर. दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी बिल्कुल भी डी. आर. नहीं होता है।

अभियुक्त व्यक्ति के तहत दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएँ हैं कानून, और गिरफ्तारी के खिलाफ कई सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं। इसके अलावा, यह भी उल्लेख करना उचित है कि

अभियुक्त व्यक्ति को "अग्रिम" के लिए आवेदन करने का भी अधिकार है। संहिता की धारा 438 के प्रावधानों के तहत "जमानत" यदि

उसमें उल्लिखित शर्तें पूरी की जाती हैं। इस प्रकार,

उचित मामलों में, वह उसके तहत गिरफ्तारी से बच सकता है

न्यायालय से आदेश प्राप्त करके प्रावधान।

अधिनियम, यदि कोई अभियुक्त व्यक्ति लोक सेवक है, तो नियुक्ति प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है और यदि ऐसा व्यक्ति है वरिष्ठ की लिखित अनुमति के बिना लोक सेवक नहीं है

जिले के पुलिस अधीक्षक। ऐसी अनुमतियाँ अभिलिखित कारणों से दी जानी चाहिए जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और संबंधित अदालत को दी जानी चाहिए। गिरफ्तार व्यक्ति को कब और कैसे पेश किया जाता है

मजिस्ट्रेट के समक्ष, मजिस्ट्रेट को दर्ज किए गए कारणों पर अपना दिमाग लगाना चाहिए और आगे हिरासत की अनुमति केवल तभी दी जानी चाहिए जब दर्ज किए गए कारण वैध पाए जाएं। गलत निहितार्थ से बचने के लिए, प्राथमिकी दर्ज होने से पहले, प्रारंभिक जांच की जा सकती है कि क्या मामला अत्याचार अधिनियम के मापदंडों में आता है और तुच्छ या प्रेरित नहीं है।

वर्तमान मामले पर विचार

82. जहाँ तक वर्तमान मामले का संबंध है, हम विद्वान न्यायमित्र की प्रस्तुतियों में योग्यता पाते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ कार्यवाही

निरस्त किए जाने की संभावना है। निष्कर्ष

83. हमारे निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

(i)

वर्तमान मामले में कार्यवाही प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

अदालत से और रद्द कर दिए जाते हैं। अग्रिम जमानत देने के खिलाफ कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है।

(ख)

अत्याचार अधिनियम के तहत मामले यदि कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है

जहां न्यायिक जांच में शिकायत प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है। हम पंकज डी. सुथार (ऊपर) और डॉ. एन. टी. देसाई (ऊपर) में गुजरात उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण और दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं और (2018) 4 एस. सी. आर. को स्पष्ट करते हैं।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

बालोथिया (ऊपर) और मंजू में इस न्यायालय के निर्णय

देवी (ऊपर);

अत्याचार अधिनियम के तहत मामलों में गिरफ्तारी के कानून के स्वीकृत दुरुपयोग को देखते हुए, एक लोक सेवक की गिरफ्तारी केवल एस. एस. पी. द्वारा अनुमोदन के बाद नियुक्ति प्राधिकारी और एक गैर-लोक सेवक की मंजूरी के बाद ही की जा सकती है, जो दर्ज किए गए कारणों के लिए आवश्यक माने जाने पर उचित मामलों में दी जा सकती है। इन कारणों की जांच की जानी चाहिए -

मजिस्ट्रेट को आगे निरोध की अनुमति देने के लिए।

एक निर्दोष के झूठे निहितार्थ से बचने के लिए, संबंधित डीएसपी द्वारा प्रारंभिक जांच की जा सकती है ताकि पता लगाया जा सके

यह पता लगाना कि क्या आरोप अत्याचार अधिनियम के तहत एक मामला बनाते हैं और क्या आरोप तुच्छ नहीं हैं या

प्रेरित करती हैं। निर्देश (iii) और (iv) के किसी भी उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी -

अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ अवमानना का तरीका।

ऊपर की दिशाएँ संभावित हैं।

निर्णय के साथ भाग लेने से पहले, हम विद्वान 1 द्वारा प्रदान की गई अमूल्य सहायता के लिए अपने पाठ को रिकॉर्ड पर रखते हैं जो विद्वान सलाहकार द्वारा भी प्रदान की गई सहायता है जिनके पास है

इस मामले में।

उपरोक्त शर्तों में पी. पी. एल. की अनुमति दी गई है।

अपील की अनुमति दी गई।